



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 345 राँची, बुधवार,	23 आषाढ़, 1943 (श०)
	14 जुलाई, 2021 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2021

एस. ओ. 02-- साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने और -

- (1) औद्योगिक विवाद (झारखंड) नियमावली, 1961; और
- (2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) झारखंड नियमावली, 1947;
- (3) बिहार एवं ओड़िसा श्रमिक संघ विनियमन, 1928;

के अधिक्रमण में, जिन्हें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा ऐसे अधिक्रमण से पहले या विलोप किए गए कार्यों को छोड़कर, निरसन किया जाता है, और इन्हें इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यथापेक्षित अधिसूचित किया जाता है, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, विचार किया जाएगा; यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों तो, **श्रमायुक्त, झारखंड, श्रम भवन डोरंडा, राँची** को अथवा **jlcran721@gmail.com** के ईमेल पर पास भेजा जायेगा। के ईमेल पर पास भेजा जायेगा। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रोफोर्मा में भेजा जाना चाहिए, जिसमें कॉलम (1) में व्यक्ति, संगठन का नाम और पता, कॉलम (2) में संदर्भित नियम/उपनियम जिसमें संशोधन करना है, तथा कॉलम (3) में संशोधन-प्रस्ताव (कारणसहित) हो।

किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आपत्ति अथवा सुझाव को उपर्युक्त अवधि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

The Industrial Relation (Jharkhand) Rules, 2021.

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement-

- (i) These rules may be called The Industrial Relation (Jharkhand) Rules, 2021.
- (ii) They extend to whole of Jharkhand in respect to the industrial establishments and matters for which the state Government is the appropriate Government.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1A. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020;
- (b) "section" means the section of the Code;
- (c) "electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

2. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2.- The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in **Form-I** and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

Chapter - II BI-PARTITE FORUMS

3. Constitution of Works Committee etc. under Section 3.- (1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:-

(2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:

Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to—

(i) How many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in two following groups, namely:-

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for works

committee in the proportion of their membership.

(b) where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee.

(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year.

(b) The Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot:

(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and *vice versa*:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.

(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;

(b) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;

(c) A member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the

same group to which the member vacating the seat belonged.

(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.

(10) (a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

4. Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4.- The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be co- terminus with the tenure of the members of the registered Trade Union.

Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.

(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to—

(a) how many of the workers are members of such Trade Union;

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Deputy Labour Commissioner who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:—

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership.

(b) such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

5. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.— Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically and by registered post or speed post or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.

6. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.— Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application by registered post or speed post within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter - III TRADE UNION

7. Every application for registration of a trade union shall be made in Form A accompanied by an affidavit to the effect that the statement & information furnished in the said **FORM A** are to the best of his/her knowledge true and correct and that none of the executive members or office bearers have been convicted by any court for offence involving moral turpitude.
8. The register of trade unions referred to in Section 9 (1) shall be maintained in **Form B**.
9. The certificate of registration issued by the Registrar under Section 9 (2) shall be in **Form C**.
10. The payment of subscription by members of Trade Union preferably be paid by the members employed in any Industrial establishment through check off system or through bank transfer, amount of which shall not exceed:-
 - (a) Rupees Ten (10/-) per month for rural and the workers in other unorganized sectors; and
 - (b) Rupees Fifty (50/-) per month for workers in other cases.
11. Every Trade Union registered under the Trade Unions Act, 1926 having valid registration immediately before commencement of this Industrial Relation code 2020, shall file a statement along with constitution of the executive of the Trade Union in accordance with Code along with the rules of the Trade Union updated in accordance with Section 7 within 3 months and the Registrar shall amend his records accordingly and send intimation regarding this to concerned Trade Union.
12. (1) The registrar on receiving an application for the withdrawal or cancellation of registration shall before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation was approved by a general meeting of the trade union, or if it was not so approved that it has the approval of the majority of the members of the trade union. For the purpose he may call for such further particulars as he/ she may deem necessary and may examine any officer of the union.
(2) The Registrar shall, before withdrawing or cancelling the certificate of registration of a trade union under clause (5) of Section 9, cause to be served a notice in **Form D** on the trade union through its Secretary in person or by registered post or electronically and by registered post or speed post.
(3) The certificate of registration issued to a trade union under rule 9 shall be surrendered by the Secretary of the union when the Registrar withdraws or cancels such certificate under section 9 (5) and 9 (6).

(4) The certificate of registration of a trade union may be withdrawn or Cancelled by the Registrar under sub-section 5 of Section 9 if he/she is satisfied that the application has been signed by General Secretary or President of that union accompanied with resolution or otherwise on proper investigation which satisfy him or non compliance of any provision of the Industrial Relation Code, 2020 after providing sufficient opportunity.

13. (1) The Registrar on receipt of a notice of removal of the registered office to another State shall forward to the Registrar of the State to which the head office of the trade union has been transferred, a copy of all the entries contained in the register prescribed by rule 8 and a copy of the rules of the union with all amendments thereto.

(2) The Registrar of the State to which the head office of the trade union has been transferred shall thereupon enter in his register the particulars relating to the trade union and shall certify the fact of such registration of the certificate issued under rule 9. The Secretary of the union shall present the certificate to the Registrar for this purpose.

(3) The procedure prescribed in clause (2) above shall be followed in respect of a trade union whose head office has been transferred to this State:

Provided that, if the name of the trade union, the head office of which has been transferred to this state, is identical with that by which any other existing trade union has been registered or, in the opinion of the Registrar, so nearly resembles such name as to be likely to deceive the public or the members of either trade union the Registrar shall require the trade union applying for the transfer of its head office to this State to alter its name, and shall refuse to certify the fact of registration referred to in clause (2) above until such alteration has been made.

14. Any appeal made under Section 10 (1) of the Act must be filed within sixty days of the date on which the Registrar passed the order against which the appeal is made.

15. (1) The matters of negotiation under section 14(1) for negotiating council or negotiating union are:-

i) Condition of Service, ii) Wages, iii) Working hours, iv) Duty Shift, v) Bonus, vi) Leave, vii) Safety, viii) Welfare, ix) Promotion, x) Increment, xi) Other matters directly or indirectly connected with workers of that establishment.

(2) The employer of an industrial establishment shall recognise such registered trade union as a sole negotiating union of workers under section 14 (2) after being satisfied that concerned union has been functioning in accordance with the rules of the union.

(3) When two or more registered trade unions are functioning in an Industrial establishment the following manner shall be adopted by the employer for recognising as the sole negotiating union of workers:-

- a) Within 3 months of commencement of this rule, the employer shall publish a notice on notice board with intimation to all registered trade unions functioning in the industrial establishment inviting them to claim for a negotiating union having fifty one percent or more membership in the Industrial establishment.
- b) The employer shall verify the membership register.
- c) If more than one registered trade unions are functional in an industrial establishment and each of which claims to have fifty one percent or more membership, the employer may demand minimum three consecutive month's subscription receipts and membership register.
- d) After above following above process if the employer is not satisfied then the membership verification through secret ballot may be done in presence of the officer duly authorised by the registrar, trade union.
- e) The facilities to be provided by Industrial establishment under section 14 (7) to a negotiating union or negotiating council shall be following :-
 - (i) Notice board for the purpose of displaying information relating to activities of negotiating union;
 - (ii) minimum space with required facilities for office;
 - (iii) venue and necessary facilities for holding meetings by the negotiating union;
 - (iv) facilities for entrance of office bearers of the negotiating union in the industrial establishment for the purpose of ascertaining the matters relating to working conditions of the workers;
 - (v) the day of meeting for negotiation shall be treated as on duty;
 - (vi) other facilities may be mutually decided;

16. When the Registrar registers a change of name under sub-section (3) of Section 24 he shall certify under his signature at the foot of the certificate issued under rule 9, that the new name has been registered. The Secretary shall present the certificate to the Registrar for this purpose.

17. On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (2) of Section 24 if the head office of the amalgamated trade union is in the State of Jharkhand, The Registrar shall consult the Registrars of trade unions in other State or States so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub section (6) of the said section.

When the amalgamated trade union is registered under sub-section (5) of the said section it shall be assigned a number in the register in **Form B** and the Registrar shall issue a new certificate in **Form C** thereof. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form B and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrars of the trade unions so amalgamated in other State, if any.

18. The fee payable for the registration of a trade union shall be Rs. 500/- (Rs. Five Hundred).

19. (1) On receiving a copy of an alteration made in the rules of a trade union under Section 26

(1), the Registrar, unless he has reason to believe that the alteration has not been made in the manner provided by the rules of the trade union, shall register the alteration in the register prescribed by rule 8 and shall notify the fact that he has done so the Secretary of the trade union.

(2) The fee payable for registration of alterations of rules shall be Rs. 100/- (Rs. One Hundred) for each set of alterations made simultaneously.

20. Application for recognition:- (1) A state Trade Union under sub section (2) section 27 of the Code having its membership coverage in at least one third of the districts of state of Jharkhand with 8000 or more membership, may file an application in **Form-AA** for recognition as State Trade Union before the Labour Commissioner, Jharkhand accompanied by the registration certificate and Constitution/rules and regulation of the trade union, district wise membership register and an affidavit to the effect that the statements and information furnished in the application for recognition are true and correct to his knowledge, information and belief. The Labour commissioner shall after hearing the party (s) may recognise or reject with reasons to be recorded and communicated in writing to the parties concerned.

(2) In the case of a Trade Union, being a federation or a State Organisation of Trade Unions, a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a state level organisation of Trade Unions having at least 50 or more registered trade unions functioning within the state of Jharkhand, may file an application in **Form – AAA** for recognition as Federation of trade unions before the Labour Commissioner, Jharkhand accompanied with list and registration certificate of member trade unions, and an affidavit to the effect that the statements and information furnished in the application for recognition are true and correct to his knowledge, information and belief. The Labour commissioner shall after hearing the party (s) and may recognise or reject with reasons to be recorded and communicated in writing to the parties concerned.

21. Appeal:- (1) In case of any dispute arises in relation to such recognition the aggrieved trade union or federation of trade union may prefer an appeal before the Industrial Tribunal constituted by the state of Jharkhand under section 44 (1) of the Industrial Relations Code, 2020

(2) The memorandum of appeal under sub-rule 1 of rule 16 shall be submitted to the Industrial Tribunal with a copy thereof to all the opposite parties either through delivery in person or under registered post acknowledgement due orelectronically and by registered post or speed post

(3) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the appellate authority, the grounds of appeal and the reliefsought.

(4) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the appellate.

(5) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the appellate authority shall forward

records of the case to the Industrial Tribunal.

(6) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(7) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal by electronically and by registered post or speed post or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.

22. (1) Along with the notice of dissolution under sub-section (1) of Section 25 the certificate issued under rule 3 shall be surrendered. When the Registrar registers the dissolution he shall send an intimation of the fact of such registration under signature to the Secretary of the trade union.

(2) In case provision of distribution of funds after dissolution of the Trade union is not prescribed in the rules of the unions the Registrar shall have the power under sub-section (2) of Section 25 to distribute the fund of a trade union which has been dissolved, he shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal representative.

(3) All communications and notices to a registered Trade Union shall be sent by email or Registered post to the address of head office of that Trade Union.

23. The annual return to be furnished under Section 26(1) shall be submitted [in duplicate] to the Registrar by the **30th day of June** each year electronically and through registered post or speed post, and shall be in **Form E**.

24. Audit : (1) Save as provided in sub-clauses (2), (3), (4) and (5) of this rule, the annual audit of the accounts of any registered trade union shall be conducted by an auditor authorized to audit the accounts of companies under section 144 (1) of the Indian Companies Act, 1913.

(2) Where the membership of a trade union did not at any time during the financial year exceed 2500, the annual audit of accounts may be conducted –

(a) by an examiner of local fund accounts, or

(b) by any local fund auditor appointed by the local Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension of not less than Rs. 1000 per mensem.

(3) Where the membership of a trade union did not at any time during the financial year exceed 750, the annual audit of accounts may be conducted.

(a) by any two persons holding office as magistrate or judges or members of any municipal council, district board, or legislative body.

(b) by any person who, having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than Rs. 1000/- a month, or

(c) by any auditor appointed to conduct the audit of any Co-operative societies by Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State co-operative organization recognized by Government for this purpose.

(4) Where the membership of trade union did not at any time during the financial year exceed 250, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.

(5) Where the trade union is a federation of unions, and the number of unions affiliated to it at any time during the financial year did not exceed 50, 15, 5 respectively, the audit of the accounts of the federation may be conducted as if it had not at any time during the year had a membership of more than 2,500, 750, 50 respectively.

25. (1) Notwithstanding anything contained in rule 24, no person who at any time during the year was entrusted with any part of the funds or securities belonging to the trade union shall be eligible to audit the accounts of the union.

(2) The general funds of a registered Trade Union shall be spent on workers' welfare, Social Security, schemes for members and their family expenses on salaries, transporting allowances of officers passed by resolutions and expenses on establishment.

(3) Any subscriptions under section 15 (4) payable by the members of the Trade Union for other than general funds shall be decided by majority of members. But it will be not mandatory for every members of Trade Union.

26. The auditor or auditors appointed in accordance with the rules shall be given access to all the books of the trade union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form E, indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in accordance with this Code. The particulars given in this statement shall indicate :-

(a) Every payment which appears to be unauthorized by the rules of the trade union, or contrary to the provision of the code.

(b) The amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by negligence or misconduct of any person.

(c) The amount of any sum which ought to have been but is not brought to account by any person.

27. The audit of the political fund of a registered trade union shall be carried out along with the audit of the general account of the trade union and by the same auditor or auditors.

28. (1) The register of trade unions maintained in accordance with rule 8 shall be open to inspection by any person on payment of Rs. 100/- (Rs. One Hundred)

(2) Any documents in the possession of the Registrar received from a registered trade union may be inspected by any member of that union on payment of a fee Rs. 100/- (Rs. One Hundred) for each document inspected.

(3) Documents shall be open to inspection on the date, time and place as may be fixed for this purpose by the registrar.

(4) The Registrar may supply a certified copy of any such document to a registered Trade Union or a member thereof on payment of Rs. 50/- (Rs. Fifty) per page.

29. All payment towards fee for registration of trade union, inspection of record, certified copies of documents etc. shall made through e-challan in prescribed receipt head of the state government.

30. **Forms B and D** which are by these regulations required to be signed or initialled by the Registrar may be signed or initialled under his direction and on his behalf by any gazetted officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.

Chapter - IV

STANDING ORDERS

31. **Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.-**

(1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned Certifying Officer, who will be of the rank of a Joint Labour Commissioner, Jharkhand, electronically and by registered post or speed post, the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the

model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically and by registered post or speed post by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

32. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30. – Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5), then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

33. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.-

Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically and by registered post or speed post within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

34. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.- A statement to be accompanied with-

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and

(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

35. Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under sub-section (10) of section 30.- In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union.

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Labour Commissioner, Jharkhand who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefor.

36. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32:-

(1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically and by registered post or speed post to the appellate authority.

- (2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given—

(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case maybe;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and

(c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

37. The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.- (1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent

electronically and by registered post or speed post except in the case of deemed certification under section 30.

(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the official language of the State where the industrial establishment is situated.

38. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.- (1) The Certifying Officer shall maintain electronically and by registered post or speed post, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

- (a) the unique number assigned to each standing order;
- (b) name of industrial establishment;
- (c) nature of industrial establishment;
- (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;
- (e) the areas of the operation of the industrial establishment; and
- (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

39. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35.- The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically and by registered post or speed post and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

Chapter - V

NOTICE OF CHANGE

40. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of

section 40.- (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the **Third Schedule** to the Code, shall give notice in **Form-II** to such worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

Chapter - VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

41. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.-

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in **Form-III** and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

(2) The Arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.-

(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;

(i) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member:

Explanation.-(1) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorised for such purpose;

(2) In this rule **officer** means any of the following officers, namely:-

(a) the President;

- (b) the Vice-President;
- (c) the Secretary (including the General Secretary);
- (d) a Joint Secretary; and
- (e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

42. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.- Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

43. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.- Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in **Form-IV** authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case maybe.

Chapter VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

44. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Tribunal under sub- section (5) of section 44 and (6) of Section 46.-

(1) A person shall not be qualified for appointment as the judicial member of Industrial Tribunal unless:

- (a) He is or has been, a judge of a High Court or
- (b) He has for a period of not less than three years been a District Judge or an Additional District Judge or

(2) A Judicial Member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(3) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the state Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(4) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(5) (a) In case of serving High Court Judges, the service rendered in the Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which they belong and they shall be governed by the provisions of General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 and the rules for pension applicable to them.

(b) In case of retired High Court Judges, they may join existing Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the Industrial Tribunal.

(6) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.

(7) (a) In case of serving High Court Judges, leave shall be admissible as admissible to the serving High Court Judges.

(b) In case of retired High Court Judges, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.

(8) (a) The Jharkhand Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.

(b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member.

(9) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.

(b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.

(10) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.

(11) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.

(12) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the Government of Jharkhand in this behalf.

(13) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Government of Jharkhand, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the Government of Jharkhand is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a

Judicial Member, it shall make a reference to the High Court of Jharkhand.

(c) The inquiry shall be completed within six months' time or such further time as may be specified by the Government of Jharkhand.

(d) After conclusion of the inquiry, its report shall be submitted to the Government of Jharkhand stating therein its findings and the reasons there for on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The enquiry officer or Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(14) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Government of Jharkhand:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the Government of Jharkhand to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(15) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the **Form-V** annexed to these rules.

(16) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the Government of Jharkhand for its decision, and the decision of the said Government thereon shall be final and binding.

(17) The Government of Jharkhand shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

45. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Tribunal under sub- section (5) of section 44 and (6) of Section 46.-

(1) A person shall not be qualified for appointment as the Administrative Member of the Industrial Tribunal unless he is or has been, Additional Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner with three years of experience in the state; and/ or having a degree of law with adequate experience of handling the Labour Laws related matters.

(2) The procedure for selections of Administrative Member after taking into account qualification, suitability record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal.

(3) An administrative Member shall hold office for a term of five years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(4) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the Government of

Jharkhand shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(5) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay. In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(6) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund Rules as applicable.

(b) In case of retired Government Officers, they may join existing Provident Fund Scheme as per rules during period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative member in Industrial Tribunals.

(7) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.

(8) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.

(b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.

(9) (a) The Jharkhand Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.

(b) The Jharkhand Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.

(10) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.

(11) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.

(12) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.

(13) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the Jharkhand Government in this behalf.

(14) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Jharkhand Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the Jharkhand Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall conduct the inquiry.

(c) The enquiry officer or committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the Jharkhand Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the enquiry officer or committee shall submit its report to the Jharkhand Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The enquiry officer or Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(15) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Government of Jharkhand:

Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the Jharkhand Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(16) The Government of Jharkhand shall, on the verification and satisfaction remove from office any Administrative Member, who-

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
- (c) has become medically incapable of acting as such Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(17) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the **Form-V** annexed to these rules

(18) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the Government of Jharkhand for its decision, and the decision of the said Government thereon shall be final and binding.

(19) The Government of Jharkhand shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

46. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.-

(1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings and shall forthwith arrange to interview both the employer and the workmen concerned with the dispute at such places and such times as he may deem fit.

(2) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.

(3) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(4) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub- rule (1) to (3), the conciliation officer shall submit a report to government of Jharkhand within thirty days from the date on which the conciliation proceedings are concluded with copies to the parties concerned and also upload the same in the portal so created by the government of Jharkhand.

(5) The report referred to in sub-rule (4) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(6) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in **Form-VI**, before the Tribunal within ninety days from the date of the report under sub-rule (4).

(7) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically/ by post or by any authentic service approved by the state government on each of the opposite parties in the dispute.

(8) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix

the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(9) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Industrial Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(10) Evidence shall be recorded in Industrial Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Industrial Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(11) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(12) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Industrial Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(13) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Industrial Tribunal may proceed with the case ex- parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Industrial Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(14) The Industrial Tribunal shall communicate its Award electronically to the parties concerned and the Government of Jharkhand and upload on the portal as created by the government of Jharkhand within one month from the date of the pronouncement of the award.

(15) The Industrial Tribunal summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).

(16) Where assessors are appointed to advise an Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Industrial Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Industrial Tribunals.

(17) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Industrial Tribunal in the following manner, namely:-

(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Industrial Tribunal be charged at the rate of Rs. 10 per page.

(b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Re.10 per page shall be payable.

(c) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(18) The representatives of the parties appearing before a Industrial Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Industrial Tribunal when evidence has been called.

(19) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the Industrial Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing.

Provided further that Industrial Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.

Chapter - VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

47. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in **Form-VII** which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically and by registered post or speed post or otherwise to the concerned conciliation officer of the area and Labour Commissioner, Jharkhand.

48. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62. – (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in **Form-VIII** to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof

to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government electronically and by registered post or speed post. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically and by registered post or speed post to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically and by registered post or speed post the same to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government.

Chapter -IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

49. Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70. - If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in **Form-IX** to the Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government electronically and by registered post or speed post.

50. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72.-Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

51. Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in **Form-IX** to the State Government and a copy thereof to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government electronically and by registered post or speed post.

Chapter - X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

52. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78.- An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in **Form- X** stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

53. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

54. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.- An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in **Form- X** stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and by registered post or speed post and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

55. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

56. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically and by registered post or speed post in **Form X** for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

57. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

Chapter - XI

WORKER RE-SKILLING FUND

58. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.- Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the **Shramadhan portal** of the Department of labour and Labour Commissioner, Jharkhand to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers' account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter - XII

OFFENCES AND PENALTIES

59. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.-

(1) The officer notified by the Government of Jharkhand for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the **Compounding Officer**), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through electronically and by registered post or speedpost to the accused in **Form XI** consisting of three parts. In **part I** of such Form, the compounding officer shall inter alia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. **Part II** of the Form shall specify the consequences if

the offence is not compounded and **part III** of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the **part III** of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and by registered post or speed post and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and

(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

Chapter - XIII

MISCELLANEOUS

60. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognized as protected workers. Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen

days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognise such workers to be **protected workers** for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognised as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, the dispute shall be referred to the any Deputy Labour Commissioner or Assistant Labour Commissioner or Labour Superintendent concerned, whose decision thereon shall be final.

61. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.- (i) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in **Form-XII** and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(ii) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, or the Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

62. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94.- Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any

other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in **Form-IV**.

63. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.—Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in **Form-IV** an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

64. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.—

Complaint .— (1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Jharkhand under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).

(2) **Issue of Notice .—** If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically and by registered post or speed post to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through videoconferencing.

(5) **Authorisation.**— The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(6) **Permission to appear.**— Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) **Presentation of documents.**— Complaint or other documents relevant to the complaint may

be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically and by registered post or speed post.

(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically and by registered post or speed post, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint.—

(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code

(c) the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) Record of proceedings.— The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) Exercise of powers.— In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) Order or direction when to be made.— The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(13) Inspection of documents.— Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.

FORM - A**(See Rule- 7)****Application for Registration of Trade Union**

Dated the _____ day of _____ 20____

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of
2. The address of the head office of the union with email-id.
3. The union came into existence on the ----- day of ----- 20
4. The union is a union of employers/workers engaged in the industry (or profession).....
5. The particulars of officers of Trade Union are given in attached affidavit as annexure as Schedule-I
6. The particulars given in Schedule II show the provision made in the rules for the matters detailed in Section 7 of the Industrial Relations Code 2020
7. (To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application). The particulars required by Section 8 (2) of the Industrial Relations Code 2020, are given in Schedule III.
8. We have been duly authorized to make this application by *

-----	Name	Occupation	Address	Aadhar No	Signature
Signed					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

* State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in what way it was given.

To the Registrar of Trade Unions for the State of Jharkhand

Schedule - I**List of officers**

Title	Name	Designation	Age	Address	Occupation

SCHEDULE - II**Reference To Rules**

The number of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given in column 2 below:-

Sl. No.	Matter	Number of rules
1.	Name of Trade union.....	
2.	The whole of the object for which the union has been established	
3.	The whole of the purpose for which the general funds of the union shall be applicable.	
4.	The maintenance of a list of members	
5.	The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members	
6.	The admission of ordinary members	
7.	The admission of honorary or temporary members.	
8.	The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules	
9.	The payment of a subscription by members of the Trade Union from such members and others	
10.	The annual general body meeting of the members of the Trade Union, the business to be transacted at such meeting, including the election of office-bearers of the Trade Union;	
11.	The manner in which the members of the executive and the other office bearers of the Trade Union shall be elected once in a period of every three years and removed, and filling of casual vacancies;	

12.	The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied.	
13.	The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded.	
14.	The manner in which the members of the Executive and the other officers of the union shall be appointed with casual vacancy and removed.	
15.	The safe custody of the funds.....	
16.	The annual audit of the accounts.....	
17.	The facilities for the inspection of the account books by officers and members.	
18.	The manner in which the union may be dissolved...	

SCHEDULE - III

(This need not be filled in if the union came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Statement of Liabilities and Assets on the ---- of --- 20....

Liabilities	Rs. P.	Assets	Rs. P.
Amount of general funds.....		Cash –	
Amount of political fund		In hands of Treasurer -----	
Loan from –		In hands of Secretary	
_____		In hand of	
_____		In the Bank	
Debts due to –		In the Bank	
_____		Securities as per list below	
_____		Unpaid subscriptions due	
Other Liabilities (to be specified)		Loan to	
_____			
_____		Immovable property -----	
Total liabilities		Goods and furniture	
		Other assets (to be specified	
		Total assets	

List of Securities				
Particulars	Face value	Cost Price	Market price of date or which account have been	In hands of

FORM – AA

[SEE RULE 20 (1)]

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STATE TRADE UNION

Dated : _____ the _____, 2021.

To,

Labour Commissioner, Jharkhand

1. We hereby apply for the Recognition of the State Trade Union under the name of : -
2. The address of the Head Office of the State Trade Union is : -
3. The State Trade Union came into existence on the _____ day of _____
4. The State Trade Union is a union of Employees/Workers engaged in the Industry (or Profession) : -
5. The particulars of the office bearers of the Trade Union are given in Schedule – I
6. The particulars given in Schedule II showing the provisions made in the rules for the matters detailed in section 7 of the Industrial Relations Code, 2020 (To be struck out in the case of Unions which have not been in existence for one year before the date of application).
7. The particulars required by section 26 (1) of the Industrial Relations Code, 2020, are given in Schedule III.
8. We have been duly authorized to make this application by* resolution No. _____ adopted on _____ in the meeting (copy attached)

SI No.	Name	District	Signature	Occupation	Address

*at least one applicant must sign from each representing district of the state trade union.

Schedule - I

List of officers

Title	Name	Designation	Age	Address	Occupation

SCHEDULE - II**Reference to Rules**

The number of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given in column 2 below

Sl. No.	Matter	Number of rules
1.	Name of Trade union.....	
2.	The whole of the object for which the union has been established	
3.	The whole of the purpose for which the general funds of the union shall be applicable.	
4.	The maintenance of a list of members	
5.	The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members	
6.	The admission of ordinary members	
7.	The admission of honorary or temporary members.	
8.	The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules	
9.	The payment of a subscription by members of the Trade Union from such members and others	
10.	The annual general body meeting of the members of the Trade Union, the business to be transacted at such meeting, including the election of office-bearers of the Trade Union;	
11.	The manner in which the members of the executive and the other office bearers of the Trade Union shall be elected once in a period of every three years and removed, and filling of casual vacancies;	
12.	The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied.	
13.	The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded.	
14.	The safe custody of the funds.....	
15.	The annual audit of the accounts.....	
16.	The facilities for the inspection of the account books by officers and members.	
17.	The manner in which the union may be dissolved...	

(This need not be filled in if the union came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Liabilities		Rs. P.	Assets	Rs. P.
Amount of general funds.....			Cash –	
Amount of political fund			In hands of Treasurer -----	
Loan from –			In hands of Secretary	
-----			In hand of	
-----			In the Bank	
Debts due to –			In the Bank	
-----			Securities as per list below	
-----			Unpaid subscriptions due	
Other Liabilities (to be specified)			Loan to	
-----				
-----				
			Immovable property -----	
Total liabilities			Goods and furniture	
			Other assets (to be specified	
			Total assets	
List of Securities				
Particulars	Face value	Cost Price	Market price of date or which account have been	In hands of

FORM – AAA

[SEE RULE 20 (2)]

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STATE FEDERATION OF TRADE UNIONS

Dated : _____ the _____, 20

To,

Labour Commissioner, Jharkhand

1. We hereby apply for the Recognition of State Federation of the Trade Union under the name of:
2. The address of the Head Office of the Federation of State Trade Union is : -
3. The State Federation of Trade Union came into existence on the _____ day of _____
4. The State Federation is a union of State Trade Unions: -
5. The particulars of the office bearers of the Federation are given in Schedule – I
6. The particulars given in Schedule II showing the provisions made in the rules in line with the matters detailed in section 7 of the Industrial Relations Code, 2020 (To be struck out in the case of Unions which have not been in existence for one year before the date of application).
7. The particulars required by section 26(1) of the Industrial Relations Code, 2020, are given in Schedule III.
8. We have been duly authorized to make this application by* resolution No. _____ adopted on _____ in the meeting (copy attached)

Sl No.	Name	District	Signature	Occupation	Address

*at least one applicant must sign from each representing district of the state Federation of trade unions.

Schedule I**List of officers**

Title	Name	Designation	Age	Address	Occupation

SCHEDULE – II**Reference To Rules**

The number of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given in column 2 below

Sl. No.	Matter	Number of rules
1.	Name of State Federation of Trade unions.....	
2.	The whole of the object for which the federation has been established	
3.	The whole of the purpose for which the general funds of the federation shall be applicable.	
4.	The maintenance of a list of members (Registered Trade Unions).....	
5.	The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members	
6.	The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules	
7.	The payment of a subscription by members of the federation from such members and others	
8.	The annual general body meeting of the members of the federation, the business to be transacted at such meeting, including the election of office-bearers of the federation of Trade Unions;	
9.	The manner in which the members of the executive and the other office bearers of the federation shall be elected and removed, and filling of casual vacancies;	

10.	The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or levied.	
11.	The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded.	
12.	The safe custody of the funds.....	
13.	The annual audit of the accounts.....	
14.	The facilities for the inspection of the account books by officers and members.	
15.	The manner in which the federation may be dissolved...	

SCHEDULE – III

(This need not be filled in if the State Federation of the Trade Unions came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Statement of Liabilities and Assets on the ----- of --- 20....

Liabilities	Rs. P.	Assets	Rs. P.
Amount of general funds.....		Cash –	
Amount of political fund		In hands of Treasurer	
Loan from –		In hands of Secretary	
-----		In hand of	
Debts due to –		In the Bank	
-----		In the Bank	
Other Liabilities (to be specified)		Securities as per list below	
-----		Unpaid subscriptions due	
Total liabilities		Loan to	
		Immovable property	
		Goods and furniture	
		Other assets (to be specified	
		Total assets	
List of Securities			

Particulars	Face value	Cost Price	Market price of date or which account have been	In hands of

FORM B

(See Rule-8)

Register of Trade Unions

1. Serial number.
2. Date of Registration.
3. (a) Names of the members
Making the application.
- (b) Occupations of members
Making the application
- (c) Addresses of the members making the application.
4. Name of Trade Union.
5. Address of the head office of Trade Union.
- 5 (i) Email-ID :-.....
6. Date of establishment of Trade Union.
7. Officers of Trade Union –

Title	Aadhar No
Name	Mobile no
Age	
Occupation	
Address	
8. Signature of the Registrar.

9. (a) Whether provision has been made for a separate Fund under Section 15(2) and, if so, from what date.
(b) Initial of the Registrar.
10. (a) Date of Intimation for alteration of rules.
(b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade Union.
(c) Initials of the Registrar.
11. (a) Date of registration of change of address of registered office.
(b) Address of the Trade Union as changed.
(c) If the changed address is in another State whether extracts of registration sent to the Register of the other province or state.
(d) Initials of the Registrar.
12. (a) Date of registration of change of name.
(b) Name of the Trade Union as changed.
(c) Initials of the Registrar.
13. (a) Date of Registration of amalgamation.
(b) Name of the amalgamated union.
(c) Registration number of the amalgamated Union.
(d) Initials of the Registrar.
14. (a) Date of application for cancellation of registration under Section 9(5).
(b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under Section 9(5) or 9(6).
(c) Date of issue of order withdrawing or cancelling registration.
(d) Reason of Cancelling or withdrawal
(e) Initials of the registrar.
15. (a) (1) Names of the members applying for dissolution.
(2) Occupation of the members applying for dissolution.
(3) Addresses of the members applying for dissolution.
(b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect.
(c) Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under section 25 (2) if any.
(d) Initials of the Registrar.

FORM C
(See Rule-9)

Government of Jharkhand

Department of the Labour, Employment, Training & Skill Development

Certificate of Registration of Trade Union

No.

It is hereby certified that the has been registered under section 9(2) of the Industrial Relations Code, 2020 on this day of 20

Date:

Seal Registrar of Trade Unions for the State of Jharkhand

Place:

FORM D

[See Rule-12 (2)]

Office of the Trade Unions for State of Jharkhand

Place –

THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020

Notice before withdrawal or cancellation of certificate of registration under clause (5) of Section 9 of the Code

----- Trade Unions

Register No.

Notice is hereby given to the abovementioned Trade Union that it is the intention of the Registrar to proceed on the date of* 20 to withdraw (or cancel) the certificate of registration of the Trade Union unless cause be shown to the contrary in the meantime.

The ground of such proposed withdrawal (cancellation) is that the certificate of registration has been obtained by fraud (or mistake) of that the Trade Union has ceased to exist or has willfully and after notice from me violated the provisions of the above mentioned Code, or allowed its rule to continue in force which is (1) are inconsistent with the provisions of the Code or has rescinded its rules providing for a matter. Provision for which is required by Section 7. (The facts should be briefly specified where practicable.)

Seal

(Signature)

Registrar

Date day of 20

*The date entered here shall be less than two months from the date of notice.

To,

The Secretary of

(here enter name of Trade Union)

FORM - E

(See Rule -33)

Form for Trade Unions.

PART - A.

Annual returns prescribed under Section 26 (1) of the Industrial Relations Code, 2020 for the year ending 31st March,20

- *1. Name of the Union.
- *2. Address of the Union.
- *3. Registered Head Office.
- *4. Number and date of certificate of registration.
- *5. Classification of Industry to be shown as per schedule of Industries attached.
- Dated the
- *6. Classification of Industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs :-
 - (a) Public Sector – Central Sphere;
 - (b) Public Sector – State Sphere;
 - (c) Private Sector – Central Sphere;
 - and
 - (d) Private Sector – State Sphere.
- *7. Name of the All India Body/
Federation to which affiliated.
- *8. Affiliation Number.
- *9. Affiliation fee paid during the year.
- *10. Number and date of receipt for payment of affiliation fee (attach proof) :-
- *11. Membership fee per month.

12. No of members on books at the beginning of the year.
13. No. of members admitted during the year.
14. No. of members who left during the year.
15. No. of members on book at the end of the year
(i.e. on 31st March, 2021).....
Male
Female
Total
16. No. of members contributing to
Political Fund.
- *17. No. of members who paid their subscription
For the whole year.
18. A copy of the rules of the Trade Union corrected upto
The date of dispatch of this return is appended.
19. Part B of return has been duly completed.

Secretary

*If the union falls under more than one category, the membership claimed in each category may be shown separately.

PART - B.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of March -----20.....

Liabilities	Rs. P	Assets	Rs. P
Amount of General Fund		Cash –	
Amount of Political Fund		In hands of Treasurer	
Loans from		In hands of Secretary	
		In hands of-	
		In the ----- Bank	
		In the ----- Bank	
		Securities as per list below	
		Unpaid subscription	
Debts due to		due for –	
		*(a) the year	
		*(b) previous year	

Other liabilities (to be specified)		Loans to – *(a) Officers *(b) Members *(c) Others Immovable property Goods and furniture Other assets (to be specified)	
Total liabilities		Total assets	

List of Securities

Particulatrs.	Face value	Cost Price	Market price at date on which accounts have been made up.	In hands of.
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	

Treasurer.

General Fund Account					
Income	Rs.	P.	Expenditure	Rs.	P.
Balance at beginning of the of the year.			Salaries and allowances of officers.		
Subscription from members (including unpaid subscriptions due for the year)-			Travelling allowance, salaries, allowances and expenses of establishment.		
*(a) Subscriptions received.			Auditors' fees		
*(b) Subscriptions for three months or less.			Legal expenses		
*(c) Subscriptions in arrear for more than three			Expenses in conducting Trade disputes.		
			Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes.		
			Funeral old age, sickness, un-		

months.			employment benefits, etc.		
Donations			Educational, social and religious benefits.		
Sale of periodicals			Cost of publishing periodicals.		
Books, rules, etc.			Rents, rates and taxes, stationery, printing and postage.		
Interest on investments...			other expenses (to be specified)		
Income from miscellaneous sources (to be specified)			Balance at the end of year.		
Total			Total		

Political and Fund Account

Total	Rs.	P	Total	Rs.	P
Balance at beginning of year			Payments made on objects under section 15 (2) of (to be specified).		
Contributions from members at --- ----- per member.			Expenses of management (to be fully specified).		
			Balance at the end of year.		
Total			Total		

Treasurer

Auditors' Declaration.

The undersigned having had access to all the books and accounts of the Union and having examined to foregoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct duly vouched hereto and also certify that the Union has properly maintained its membership registers and its accounts and the members had paid their membership subscriptions to the Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto.

Auditor

The following changes of officers have been made during the year :-

Officers relinquishing office.

Name	Office	Date of relinquishing office.

Officers appointed.

Name	Date of birth	Private address	Personal occupation	Title of position held in union.	Date on which appointment in column 5 was taken up.	Other offices held in addition to membership of executive date.
1	2	3	4	5	6	7

Elections

Date of last election of office-bearers.
bearers.

Date of next election of office

Secretary .

(FORM FOR FEDERATION OF TRADE UNIONS)

PART A.

Annual returns prescribed under Section 26(1) of the Industrial Relations Code 2020 for the year ending 31st March,20

1. Name of the Federation.....
2. Address of the Federation.....
3. Registered Head Office.
4. Number and date of certificate of registration.
- *5. Classification of Industry (to be shown as per schedule of Industries attached).
- *6. Classification of Sector (Please state to which of the following four categories the Federation belongs :-
 (a) Public Sector – Central Sphere;
 (b) Public Sector – State Sphere;
 (c) Private Sector – Central Sphere;
 and
 (d) Private Sector – State Sphere.
- *7. Name of the All India Body/
to which affiliated.
- *8. Affiliation Number.
- *9. Affiliation fee paid to the All India Body to which affiliated during the year.
- *10. Date of payment of affiliation fee to the All-India Body.
- *11. Membership fee charged from affiliated Union by the Federation during the year.
- *12. No of affiliated Unions at beginning of the year and their membership.
- *13. No. of unions joining during the year and their membership
- *14. Number of Unions disaffiliated during the year and their membership.
- *15. Number of affiliated Unions at the end of the year and their membership.
- *16. Number of members contributing to Political Fund.
- *17. Number of Unions which paid their affiliation fee for whole year.
- *18. A copy of the rules of the Federation corrected up to the date of dispatch of this return is appended.
- *19. Part B of the return has been duly completed.

Secretary

Date

* If the Federation falls under more than one category the membership in each category may be shown separately.

Name of Unions should be given in separate statements marked 'A', 'B', 'C' and 'D' .

PART A.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of March -----20

Liabilities	Rs. P	Assets	Rs. P
Amount of General Fund		Cash –	
Amount of Political Fund		In hands of Treasurer	
Loans from		In hands of Secretary	
		In hands of-	
Debts due to		In the ----- Bank	
		In the ----- Bank	
		Securities as per list below	
		Unpaid subscription due for –	
		*(a) the year	
		*(b) previous year	
		Loans to –	
		*(a) Officers	
		*(b) Members	
		*(c) Others	
		Immovable property	
Other liabilities (to be specified)		Goods and furniture	
		Other assets (to be specified)	
Total liabilities		Total assets	

List of Securities

Particulatrs.	Face value	Cost Price	Market price at date on which accounts have been made up.	In hands of.
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.

Treasurer.

General Fund Account					
Income	Rs.	P.	Expenditure	Rs.	P.
Balance at beginning of the of the year.			Salaries and allowances and expenses of officers.		
Subscription from members (including unpaid subscriptions due for the year)-			Travelling allowance, salaries, allowances and expenses of establishment.		
* (a) Subscriptions received.			Auditors' fees		
* (b) Subscriptions in arrears for threemonths or less.			Legal expenses		
* (c) Subscriptions in arrear for more than three months.			Expenses in conducting Trade disputes.		
Donations			Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes.		
Sale of periodicals			Funeral, old age, sickness, un-employment benefits, etc.		
Books, rules, etc.			Educational, social and religious benefits.		
Interest on investments...			Cost of publishing periodicals Rents, rates and taxes.		
Income from miscellaneous sources (to be specified)			Stationery, printing and postage expenses other expenses (to be specified).		
			Balance at the end of year.		
Total			Total		

Political and Fund Account

Total	Rs.	P	Total	Rs.	P
Balance at beginning of year			Paymnets made on objects under in section 15 (2) of the Industrial Relations Code 2020 (to be specified).		
Contributions from members at ----- per member.			Expenses of management (to be fully specified).		
			Balance at the end of year.		
Total			Total		

Treasurer

Auditors' Declaration.

The undersigned having had access to all the books and accounts of the Union and having examined to foregoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct duly vouched hereto and also certify that the Union had properly maintained its membership registers and its accounts and the members had paid their membership subscriptions to the Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto.

Auditors

The following changes of officers have been made during the year :-

Officers relinquishing office.

Name	Office	Date of relinquishing office.

Officers appointed.

Name	Date of birth	Private address	Personal occupation	Title of position held in union.	Date on which appointment in column 5 was taken up.	Other offices held in addition to membership of executive date.
1	2	3	4	5	6	7

Elections

Date of last election of office-bearers.

Date of next election of office-bearers.

Secretary

List of Industries.

Division 0. Agriculture, Forestry, Fishery etc-

010. Agriculture and Livestock production-

(a) Cultivation and tillage of soil, dairy farms, Production of agriculture or horticultural Commodities, sugarcane, raising of live-Stock, bees or Poultry farm, sericulture, wool shearing, etc.

(b) Plantations-

1. Tea
2. Coffee.
3. Rubber.
4. Others including cinchona,
 - a. Cardamum, cashew and pepper.

(c) Gins and presses-

1. Cotton Ginning and Baling
2. Jute presses.
3. Wool baling and pressing
4. Others.

021. Forestry.

022. Logging

030. Hunting, Trapping and Game propagation.

040. Fishing

Division a. Mining and quarrying-

110. Coal Mining

121. Iron Ore Mining

122. Other Metal Mining-

(a) Manganese (b) Gold

(c) Others.

130. Crude Petroleum and Natural Gas.

140. Stone Quarrying, Clay and Sand Pits.

190. Non-metallic Mining and Quarrying not
Elsewhere classified-

(a) Mica Mining (b) Other Mining

(c) Coal Quarries. (d) Other Quarries.

Division 2-3 Manufacturing-

20. Food (except Beverages).

201. Slaughtering, preparation and preserving of meat.

202. Manufacturing of dairy products.

(a) Ghee and Ghee products.

(b) Others.

203. Canning and preservation of fruits and Vegetable.

204. Canning and preserving of fish and other sea food.

205. Grain Mill product-

(a) Flour Mills. (b) Rice Mills

(c) Dal Mills.

206. Bakery Products.

207. Sugar Factories and Refineries-

(a) Sugar (b) Gur

208. Manufacture of cocoa, Chocolates and Sugar, Confectionery

209. Miscellaneous Food preparation-

(a) Edible oils (Other than Hydrogenated oils).

(b) Hydrogenated Oil Industry.

(c) Decortication of groundnut

(d) Others.

210. Beverages.

211. and 213. Distilleries and Breweries (including Power Alcohol Manufacturing).

212. Wine industries.

213. Soft Drinks and carbonated water Industries.

22. Tobacco.
220. Tobacco Manufactures-
 - (a) Bidi Industry. (b) Cigar
 - (c) Cigarette (d) Snuff
 - (e) Zarda. (f) Others.
23. Textiles.
231. Spinning Weaving and Finishing of Textiles-
 - (a) Cotton Mills.
 - (b) Jute Mills.
 - (c) Silk Mills-
 - (i) Artificial Silk and Yarn.
 - (ii) Others.
 - (d) Woolen Mills.
239. Manufacture of Textiles not elsewhere Classified-
- 232-233 Others.
24. Footwear, Other Wearing Apparel and Made-up textiles Goods.
241. Footwear (except Rubber footwear).
- 242-244. Others**
25. Wood and Cork (except Furniture):
250. (a) Saw Mills. (b) Pulpwood.
 - (c) Others
26. Furniture and Fixtures.
27. Paper and Paper Products.
271. (a) Pulp. (b) Paper.
 - (c) Paper, Card and Straw Board. (d) Other products.
272. Manufacture of Articles of Pulp. Paper and Paper Board.
28. Printing Publishing and Allied Industries.
29. Leather and Leather products (except Footwear).
291. Tanneries and Leather Finishing.
222. Manufacture of Leather products (except Footwear and other Wearing apparel).
30. (a) Footwear. (b) Tyres.
 - (c) Others.

31. Chemical and Chemical Products.
311. Basic Industrial Chemicals-
 - (a) Heavy Chemicals-
 - (i) Acid (ii) Alkalies.
 - (iii) Salt (iv) Others.
 - (b) Fertilizers
 - (i) Bone Factories. (ii) Others.
 - (c) Ammunitions
 - (d) Plastic Materials
 - (e) Others
312. Vegetable and Animal Oils and Fats-
 - (a) Vegetable Oils and Fats (except edible)
 - (b) Animal Oils and Fats (except edible)
319. Miscellaneous-
 - (a) Medical and Pharmaceutical Products
 - (b) Soaps
 - (c) Paints, Varnishes and Lacquers etc.
 - (d) Matches
 - (e) Lac (including Shellac).
 - (f) Dyes.
 - (g) Others.
32. Products of Petroleum and Coal.
321. Petroleum refineries-
 - (a) Petroleum. (b) Kerosene
322. Coke Ovens.
329. Other Products.
33. Non-metallic Mineral Products except products of Petroleum and Coal.
331. Structural Clay products-
 - (i) Brick Kilns (ii) Tiles.
 - (ii) Others.
332. Glass and glass products (except optical lenses).

333. Pottery, China and earthen-ware
334. Cement.
339. Non-metallic Mineral Product not elsewhere classified-
 - (a) Mica Industries.
 - (b) Asbestos, Hume Pipes, Blocks, Prefabricated products.
 - (c) Others.
34. Basic Metal Industries.
341. Ferrous (Iron and Steel)-
 - (a) Metal Extracting and Refining
 - (b) Metal Conversion, Metal Rolling Tube and Wire Drawing.
 - (c) Metal Founding.
342. Non-ferrous-
 - (a) Metal extracting and Refining.
 - (b) Metal Conversion, Metal Rolling, Tube And Wire Drawing.
 - (c) Metal Founding. (d) Others.
35. Manufacture of metal Products (except Machinery and Transport Equipment).
350. Metal Products -
 - (a) Metal Containers and Steel Trunks, Cutlery, Lock etc., Bolts, Nuts, Nails, Sprints, Chains etc., Metal Galvanizing. Tinning, Plating, Lacquering, Type Founding, Welding, Safes and Vaults.
 - b) Gun and steel Factories.
 - c) Others.
36. Manufacture of Machinery (except Electrical Machinery).
360. (a) Hydraulic, ventilating, and Pneumatic Machinery, Prime Movers and Boilers and Agricultural Implements.
 - (b) Machine tools and Accessories.
 - (c) Combustion Engines and Power Driven Pumps.
 - d) E. M. E Workshops.
 - e) Repair and Service Workshops.
37. Electrical Machinery, apparatus, Appliances And Supplies.
370. (a) Heavy Electric Motors and machinery.

- (b) Equipments of Generation Storage
Transmission, Transformation and
Distribution of Electric Energy.
- (c) Telegraph and Telephone Workshops.
- (d) Electric fans, lamps, batteries, dry
Cells and storage, radio receivers, wire
less apparatus, meters and paid instruments.
- (c) Others.
- 38. Transport Equipment.
- 381. Ship Buildings.
- 382. Manufacture and Repair of Rail-Road Equipment-
(a) Railway Workshops-
(i) Wagons and Coaches. (ii) Others.
(b) Tram way Workshops-
(i) Tramway Cars (ii) Others.
- 383. Motor Vehicles.
- 385. Bicycles.
- 386. Air craft-
(i) Aeroplanes, Aircraft Parts Assemblage.
(ii) Others
- 384 and 389 Others.
- 39. Miscellaneous.
- 399. (a) Ordnance Factories, not elsewhere classified.

Division 4. Construction-

- 400. (a) Construction, Reconstruction, maintenance,
Repairs Alteration and Demolition of Buildings-
(i) Undertaken by Central, Regional or
Local Authorities or with the aid of
Subsidies or Loans from such Authorities
or supervised by them.
(ii) Others
(b) Highways, Roads, bridges, Sewers,
Drains and other public works-

- (i) Undertaken by Central, Regional or Local Authorities or with the aid of Subsidies or Loans from such Authorities or supervised by them.
- (ii) Others.
- (c) Rail-roads, Railway Roadshed, etc.
- (d) Tramways, Airports, Docks.
- (e) Irrigation and River Valley Projects.
- (f) Others.

Division 5. Electricity, Gas, Water and Sanitary Services –

- 51. Electricity, Gas and Steam.
- 511. (a) Generation, Supply and Distribution.
- (b) Others.
- 521. Water Supply
- 522. Sanitary Services.

Division 6. Commerce –

- 611-612 Wholesale and Retail Trade –
 - (a) Shop Employees. (b) Others.
- 620. Banks and other Financial institutions.
 - (a) Banks. (b) Commercial concerns.
 - (c) Others.
- 630. Insurance –
 - (a) Life. (b) Others.
- 640. Others (real estate).

Division 7. Transport and Communication (other than workshops)-

- 711. Railways –
 - (a) Railways Staff, Porters, Licensed Collies, Hemals.
 - (b) Others.
- 712. Tramway and Omnibus Operators –
 - (a) Bus Routes (b) Tram lines.
 - (c) Others.
- 713. Motor Transport –
 - (a) Taxi (b) Others

714. Road Transport not elsewhere classified –
 (a) Rickshaw Pullers.
 (b) Carts, animal driven vehicles.
 (c) Lorry (d) Others.
715. Ocean Transport (Seamen) –
 (a) Ocean Lines. (b) Coastal Shipping.
 (c) Others
716. Water Transport (except Ocean Transport) –
 (a) Steamer Services, Steamer ghats, boatsman.
 (b) Port trust harbours and minor Ports.
 (c) Stevedoring.
 (d) Work in Ports and Docks and not elsewhere classified.
 (d) Others.
717. Air Transport-
 (a) Flying Crow, aerodrome staff.
 (b) Others
730. Communication –
 (a) Posts and Telegraphs. (b) Others.

Division 8. Services.

810. Government Services.
820. Community and Business Services –
 (a) Working journalists. (b) Others.
821. Educational Services.
822. Medical and other Public Health Services-
 (a) Services of Local Bodies.
 (b) Hospitals and dispensaries.
830. Recreation Services.
831. Motion Picture Production, Distribution and Projection.
832. Theatres and related Services.
833. Other Recreation Services.
840. Personal Services.
841. Domestic Services.

843. Restaurants, Cafes, Hotels, etc.
 844. Laundries and Laundry Services, Cleaning and Dyeing.
 845. Barber and Beauty Shops.
 846. and 849. Other Personal Services.

Division 9. Additivities not adequately described.

Form - I

(See Rule 2)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding)

Names of Parties:

..... Representing employer(s);

Representing workers;

Short recital of the case.....

Terms of settlement.....

Signature of the parties

*Signature of Conciliation Officer

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Jharkhand.

Witnesses:

(1)

(2)

FORM - II

(See Rule 40)

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer.....

Address.....

Dated theday of20.....

In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/change specified in the annexure, with effect fromin the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code.

Signature.....

Designation.....

Copy forwarded to:-

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.
2. Concerned Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Jharkhand.

FORM - III**(Agreement for voluntary arbitration (See Rule 41)****BETWEEN**

.....Name of the parties representing employer (s) And
Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of
[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

- (i) Specific matters indispute.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.
- (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrator(s) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer/ Representing worker/ workers.

Witnesses

1.....

2.....

Copy to: (i) The Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Jharkhand.

(ii) The Secretary to the Government of Jharkhand, Ministry of Labour, Employment, Training And Skill Development.

FORM – IV

(See Rule 43, Rule 62 and Rule 63)

(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of:

(mention the name of the proceeding)workers

Versus

.....Employer

I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.....2.....3

.....

to represent me/us in the above matter.

Dated this.....day of.....20.....

Signature of person(s) nominating the representative(s) Address Accepted

FORM-V

[See Rule 44 (21) and 45 (21)]

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of Tribunal

I, A, B., having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature)

Place:

Date:

FORM-VI

[See Rule 46 (4)]

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer)

Before..... (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)

In the matter of:

..... Applicant

Address.....

Versus

..... Opposite party (ies)

Address.....

The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date

Place

Form-VII

(See Rule 47)

(Notice of Strike to be given by Union (Name of Union) / Group of Workers)

Name of five elected representatives of workers.....

Dated the.....day of.....20.....

To

(The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation Code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on.....,for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on (date), vide resolution attached.]

Statement of the Case.

Copy to;

ANNEXURE

Copy to:

(1.) The Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner.

(2.) Labour Commissioner, Jharkhand.

FORM-VIII**(See Rule 48)****(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment)**

Name of employer

Address.....

Dated the.....day of.....20.....

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock outin... department (s), section(s) of my/our establishment with effect from for the reasons explained in theannexure.

Signature.....

Designation.....

Sn.	Statement of Reasons
1.	

ANNEXURE

Copy forwarded to:

- (1) The Secretary of the Registered Union, if any
- (2) Conciliation officer[Here enter office address of the Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner of the concerned area.]
- (3) Labour Commissioner, Jharkhand

Form- IX**[See Rule 70 (c) and Rule 49 and Rule 51]**

**(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the
Jharkhand Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations
Code, 2020 and rules made there under)**

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed format below)

Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer.....

Labour Identification Number

Dated..... (Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively)

To,

The Secretary to the Government of Jharkhand,
Ministry of Labour, Employment, Training and Skill Development
Jharkhand, Ranchi

1. ***(Retrenchment)** (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench..... workers** out of a total of Workers** with effect from (DD/MM/YYYY)

or

***(Closure)** (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,.....(name of the industrial establishment or undertaking) witheffectfrom..... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of theundertakingis (number of workers)

2. The reason for Retrenchment / Closureis

.....

3. *Theworker(s)* concerned were given on the.....(DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

or

* The worker(s) concerned have been given onthe.....(DD/MM/YYYY) one month's pay in lieuofthe notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the noticeperiod.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concernedlaws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of thisCode.

6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have beenAnnexed.

7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in thematter.

Yoursfaithfully,

(Name of Employer/ ***AuthorizedRepresentative

WithSeal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

- (1) Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissionerof the concerned area.
- (2) Labour Commissioner, Jharkhand
- (3) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM – X**[See Rule 52, 54, and 56]**

[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the Central Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under]

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed format below)

Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.....

Labour Identification Number.....

Dated.....

(Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below: Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off, Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off , Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment, Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)

To,

The Secretary to the Government of Jharkhand,
Ministry of Labour, Employment, Training and Skill Development
Jharkhand, Ranchi

1. *(Lay-off) (a). Under section 78 (2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we*hereby apply for permission to lay-off.....workers**out of total of.....workers**employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from..... (DD/MM/YYYY).

or

*(Continuation of lay-off)

(b) Under section 78 (3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we*hereby apply for permission to continue the Lay-offworkers** out of total of laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from(DD/MM/YYYY).

or

*(**Retrenchment**) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of..... workers out of total of..... workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from.....(DD/MM/YYYY).

or

*(**Closure**) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we* hereby inform you that I/we* intended to close down the undertaking..... (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from..... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is (number of workers)

2. *(**Lay-off/Continuation of Lay-off**) The worker(s) concerned were given on (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this Code.

or

*(**Retrenchment/ Closure**) The worker(s) concerned were given on..... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.

or

*(**Retrenchment/ Closure**) The worker(s) have been given on (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this Code.

3. The details of affected worker(s) is at **Annexure II**.

4. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,
(Signature)

(Name of Employer/ ***Authorised Representative with Seal)
**Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE - I

(Please give replies against each item)

1	Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.	
2	Status of undertaking— Whether Central public sector/State public sector/etc, Whether a private limited company/ partnership firm/ partnershipfirm (ii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and license/registration certificate numbers.	
3	(a) MCA Number	
	(b) GSTN Number	
4	Annual production, item wise for preceding threeyears- Production figures, month-wise, for the preceding twelvemonths,	
5	Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years.	To be annexed
6	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.	
7	Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off	
8	Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.	

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

Sl. No	UAN/ CMPFO	Name of the Worker	Category (Highly Skilled/ Skilled/ Semi-skilled / Unskilled)	Date from which in service in/with the said establishment /Undertaking/ Employer	Wage as on date of Application	Remark
1						
2						
3						

FORM – XI

(See Rule 59)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer-
2. Address of the Establishment.....
4. Particulars of the offence
5. Section of the Code under which the offence is committed.....
6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence.....

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, along with an application duly filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section shall be issued.

(Signature of the **Compounding Officer**)

Date:

Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned.....
2. Address of the applicant
3. Particulars of the offence.....

4. Section of the Code under which the offence has been committed.....
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given
.....
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence
.....
.....
.....
8. Any other information which the applicant desires to provide
.....
.....
.....

Dated: Place:

Applicant
(Name and signature)

FORM -XII

(See Rule 61)

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal,

In the matter of :..... Reference No.....

A.....

Complainant(s);

Versus

B.....

Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.

Dated this.....day of.....20.

Signature of the Complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at.....day of..... 2021.

Signature

or Thumb impression of the person verifying.

औद्योगिक संबंध (झारखंड) नियमावली, 2021

अध्याय - I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ- (i) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (झारखंड) नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(ii) ये उन सभी औद्योगिक स्थापनों और उनसे संबंधित मामलों के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, विस्तारित होते हैं,

(iii) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1क. परिभाषा- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “संहिता” का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;

(ख) “धारा” का अर्थ संहिता की धारा है;

(ग) “इलेक्ट्रॉनिक रूप से” का अर्थ है संहिता के निहितार्थ कोई सूचना जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो कि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता में परिभाषित हैं, उनके संबंधित अर्थ संहिता में प्रदान किए जाएंगे।

2. खंड 2 के खंड (zi) के तहत सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता- नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (यझ) के तहत करार प्रपत्र-I में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसकी प्रति संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय - II

द्विपक्षीय मंच

3. धारा 3 के तहत वर्क्स कमिटी का गठन :- (1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के संबंध में आदेश दिया गया है, वह उस तरीके से वर्क्स कमिटी का गठन करने के लिए कार्यवाई करेगा जिस तरह से निम्नलिखित उप-नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो :-

(2) समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या तय की जाएगी ताकि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और कामगारों के वर्ग और श्रेणी, दुकानों या विभागों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके:

बशर्ते कि वर्क्स कमिटी के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो:

आगे यह उपबंध किया गया है कि वर्क्स कमिटी में कामगार के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, वर्क्स कमिटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे संपर्क में हों, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत श्रमिक संघ का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे श्रमिक संघ से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा -

(i) कितने कर्मचारी ऐसे श्रमिक संघ के सदस्य हैं; तथा

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत श्रमिक संघ द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के श्रमिक संघ को सूचित करने के बाद उप श्रमायुक्त को इस मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के तहत मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:-

(क) पंजीकृत श्रमिक संघ अपनी सदस्यता के अनुपात में वर्क्स कमिटी के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(ख) जहां कोई पंजीकृत श्रमिक संघ नहीं है, कामगार वर्क्स कमिटी के लिए खुद को प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) वर्क्स कमिटी में अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा वर्क्स कमिटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्क्स कमिटी में उपाध्यक्ष को उनके बीच से ही चुना जाएगा: बशर्ते कि उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में, इस मामले का फैसला ड्रा के अनुसार किया जाएगा:

(घ) वर्क्स कमिटी सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, बशर्ते कि सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों और विलोमतः चुना जाएगा;

बशर्ते कि सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर जैसा, भी मामला हो, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि दो वर्षों तक लगातार नहीं बने रहेंगे:

बशर्ते कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जैसा भी मामला हो, कामगार के प्रतिनिधियों के बीच से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होंगे।

(इ) खंड (घ) के तहत किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, यह मामला झा द्वारा तय किया जाएगा।

(7) (क) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य के अलावा वर्क्स कमिटी में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा;

(ख) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के अपूर्ण कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा;

(ग) एक सदस्य, जो वर्क्स कमिटी से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के तहत सदस्य होने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में नियोजित किए जाने की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को उसी समूह में से चुना जाता है जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित होता है।

(9) वर्क्स कमिटी को परामर्शदात्री क्षमता में सहयोजन का अधिकार होगा, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के पास किसी मामले के विशेष या विशिष्ट जानकारी पर चर्चा के तहत होगा। इस तरह के सह-चयनित सदस्य वोट करने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिसके दौरान वर्क्स कमिटी के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) वर्क्स कमिटी जितनी बार आवश्यक हो, बैठके बुला सकती है परंतु यह तीन महीनों में कम से कम एक बार से अधिक नहीं होगी।

(ख) वर्क्स कमिटी अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता वर्क्स कमिटी की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा। वह वर्क्स कमिटी और उसके सदस्यों को वर्क्स कमिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। वर्क्स कमिटी सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगार के प्रतिनिधि को इयूटी पर माना जाएगा।

(ख) वर्क्स कमिटी के सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर वैस कमिटी के काम के बार में नोटिस डाल सकते हैं।

4. धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया :-

शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठान के विभागों के प्रमुख जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या संबंधित अधिकारी हों।

(3) कामगारों के प्रतिनिधियों को पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई पंजीकृत श्रमिक संघ या वार्ता परिषद नहीं है, सदस्य को प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा चुना जा सकता है:

बशर्ते कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और इस तरह का प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कामगारों के लिए महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

आगे यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि पंजीकृत श्रमिक संघ के सदस्यों की कार्यावधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगी।

आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि पंजीकृत श्रमिक संघ के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।

(4) जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत श्रमिक संघ का सदस्य है, नियोक्ता ऐसे टेक्स्ट यूनियन को लिखित रूप में उसे सूचित करने के लिए कहेगा -

(क) कितने कामगार ऐसे श्रमिक संघ के सदस्य हैं;

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत श्रमिक संघ द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के श्रमिक संघ को सूचित करने के बाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को इस मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन हेतु दी जाने वाली अपेक्षित सूचना की प्राप्ति पर चयन दो निम्नलिखित समूहों द्वारा किया जाएगा, नामतः:-

(क) पंजीकृत श्रमिक संघ अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा।

(ख) ऐसे कामगार जो किसी पंजीकृत श्रमिक संघ के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकते हैं।

5. धारा 4 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन - कोई भी पीड़ित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना विवाद बताते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है। नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग, जहां उसे नियुक्त किया गया है, वर्षों में सेवा की अवधि, कामगार की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क विवरणी, शिकायतों का विवरण और राहत मांगी गई है। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक या निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या अन्यथा भेजा जा सकता है। शिकायत ऐसे विवाद की कार्रवाई के कारण की तिथि से एक वर्ष के भीतर की जा सकती है।

6. धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत निवारण संबंधी निर्णय के विरुद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप - कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित है, जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से आठ दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हो, श्रमिक संघ के माध्यम से सुलहकर्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन दाखिल कर सकता है:

बशर्ते ऐसे आवेदन की पंजीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से वास्तविक रूप से प्राप्त होने के मामले में सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटल करवाएगा और आवेदन के विवरणों की प्रतिष्ठित ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से संबंधित कामगार को सूचना देते हुए दर्ज करेगा।

अध्याय - III

श्रमिक संघ

7. श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-ए में किया जाएगा जिसके साथ एक शपथ-पत्र संलग्न रहेगा कि उक्त प्रपत्र-ए में दिए गए विवरण और सूचनाएँ उसका/उसके जानकारी में सत्य हैं और कार्यकारी सदस्यों या आफिस वियरर्स में से कोई भी नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।

8. धारा 9 (1) में निर्दिष्ट श्रमिक संघ का रजिस्टर **प्रपत्र-बी** में रखा जाएगा।
9. धारा 9 (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र **प्रपत्र-सी** में होगा।
10. श्रमिक संघ के सदस्यों के द्वारा सदस्यता शुल्क का भुगतान किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में **चेक आफ सिस्टम** या बैंक अंतरण के माध्यम से अंतरण अभिमानतः किया जाए, जिसकी राशि निम्न से कम नहीं होगी:-

(क) ग्रामीण और अन्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए प्रति माह दस (10/-) रुपये तथा ,

(ब) अन्य मामलों में श्रमिकों के लिए प्रति माह पचास (50/-) रुपये।

बशर्ते, इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से निबंधित तथा धारा 7 के अनुसार क्रियाशील श्रमिक संघों सदस्यता शुल्क अपने निबंधित नियमावली के अनुसार लेगा।

11. वैसे प्रत्येक श्रमिक संघ जिनके पास इस औद्योगिक संबंध संहिता 2020 लागू होने के ठीक पहले श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के तहत मान्य निबंधन हो, संहिता की धारा 7 के तहत अद्यतन संबंधित श्रमिक संघ का नियमावली व संहिता के अनुसार कार्यकारणी का गठन संबंधी आवेदन तीन माह के भीतर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा और निबंधक अपने अभिलेख को तदनुसार संशोधित कर लेगा तथा इस संबंध में सूचना संबंधित श्रमिक संघ को भेजेगा।

12. (1) पंजीकरण वापस लेने या पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन प्राप्त करने पर निबंधक स्वीकृति देने के पूर्व, स्वयं को संतुष्ट करेगा कि पंजीकरण वापस करने या रद्द करने का अनुमोदन श्रमिक संघ की एक सामान्य बैठक द्वारा दी गई थी, या यदि अनुमोदित नहीं था तब इसकी मंजूरी श्रमिक संघ के अधिकांश सदस्यों द्वारा किया गया था। इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे अतिरिक्त विवरणों को जो अनिवार्य समझें और संघ के किसी भी अधिकारी की जांच कर सकेगा।

(2) किसी श्रमिक संघ का पंजीकरण के प्रमाण पत्र को वापस लेने या रद्द करने से पहले निबंधक द्वारा धारा 9 के उपधारा (5) के तहत श्रमिक संघ को **प्रपत्र-डी** में सूचना व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा दिया जाएगा।

(3) निबंधक धारा 9 (5) अथवा 9 (6) के तहत इस तरह के निर्गत प्रमाण पत्र को वापस लेता है या रद्द करता है, तब नियम 9 के तहत श्रमिक संघ को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र सचिव श्रमिक संघ द्वारा समर्पित किया जाएगा।

(4) संहिता के धारा 9 की उपधारा 5 के अंतर्गत किसी श्रमिक संघ का निबंधन प्रमाण पत्र वापस या रद्द किया जा सकता है, यदि निबंधक संतुष्ट होता है कि इस हेतु आवेदन श्रमिक संघ के महासचिव या अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित व संकल्प संलग्न है या उचित जांच जिससे वह संतुष्ट हो या औद्योगिक संबंध संहिता के किसी प्रावधान का अनुपालन पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी नहीं किए गया।

13. (1) दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय को ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर निबंधक उस राज्य के जहाँ श्रमिक संघ का मुख्य कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, नियम 8 द्वारा निर्धारित पंजी में

निहित सभी प्रविष्टियों की एक प्रति और नियमों की एक प्रति सभी संशोधनों के साथ अग्रसारित कर देगा।

(2) निबंधक, जहाँ श्रमिक संघ का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है, अपने पंजी में सभी निहित प्रविष्टियाँ जो श्रमिक संघ से संबंधित हो, करेगा तथा नियम 9 के तहत निर्गत प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगा। इस उद्देश्य के लिए श्रमिक संघ के सचिव को प्रमाण पत्र निबंधक के पास प्रस्तुत करना होगा।

(3) श्रमिक संघ के प्रधान कार्यालय को इस राज्य में स्थानांतरित किया गया है के लिए उपर्युक्त खण्ड- (2) में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

बशर्ते, यदि श्रमिक संघ का नाम, जिसका मुख्यालय इस राज्य में स्थानांतरण किया गया हो, का किसी मौजूदा श्रमिक संघ से मिलता-जुलता हो या निबंधक की राय में लगभग ऐसे नाम से मेल खाती हो जो जनता को या किसी भी श्रमिक संघ के सदस्यों को धोखा देने की संभावना रखते हैं तब ऐसे श्रमिक संघ को जिसका मुख्यालय इस राज्य में स्थानांतरण हेतु आवेदन निबंधक के पास करने वाले को नाम परिवर्तन करना अनिवार्य होगा और जब तक कि यह परिवर्तन न हो, निबंधक उपर खण्ड (2) के आलोक में प्रमाणित करने से इंकार करेगा।

14. निबंधक के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत की गई किसी भी अपील साठ दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

15. (1) वार्ता परिषद् या वार्ता संघ को बातचीत के लिए धारा 14 (1) के तहत मामले हैं -

- i) सेवा की शर्तें
- ii) मजदूरी
- iii) कार्य के घंटे
- iv) ड्यूटी शिफ्ट (कार्यकाल)
- v) बोनस
- vi) छुट्टी
- vii) सुरक्षा
- viii) कल्याण
- ix) पदोन्नति
- x) वेतन वृद्धि
- xi) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रतिष्ठान के श्रमिकों से जुड़े अन्य मामलें।

(2) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्रियाशील एक मात्र निबंधित श्रमिक संघ जो अपने नियमावली के अनुसार संचालित हो, को संहिता की धारा 14 (2) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक मान्यता प्रदान करेगा।

(3) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में दो या अधिक क्रियाशील श्रमिक संघ कार्यरत रहने पर नियोजक द्वारा श्रमिकों के एक मात्र वार्ता यूनियन का मान्यता हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाया जायेगा -

(क) नियोजक द्वारा सूचना पट्ट पर एक सूचना इस नियमावली के लागू होने के तीन माह के भीतर प्रदर्शित करना होगा, साथ ही उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्रियाशील सभी निबंधित श्रमिक

यूनियनों को वार्ता यूनियन का दावा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रण देना होगा, जो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के 51 प्रतिशत या ज्यादा सदस्य का दावा करते हों।

(ख) नियोजक सदस्यता पंजी का सत्यापन करेगा सामान्यतः सदस्यता पंजी में सदस्यों का नाम, आधार संख्या, सदस्यता ग्रहण की तिथि, हस्ताक्षर आदि होगा।

(ग) यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक क्रियाशील निबंधित श्रमिक संघों द्वारा 51 प्रतिशत या अधिक सदस्यता का दावा करते हैं, तब नियोजक तीन लगातार माह का सदस्यता शुल्क की प्राप्ति व सदस्यता पंजी का मांग कर सकता है।

(घ) उपर्युक्त प्रक्रिया करने के पश्चात् भी यदि नियोजक संतुष्ट नहीं होता है तब निबंधक, श्रमिक संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी की उपस्थिति में गुप्त मतदान के माध्यम से सत्यापन कर सकेगा।

(4) संहिता की धारा 14 की उपधारा 7 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापन द्वारा वार्ता परिषद् या वार्ता श्रमिक संघ को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाएगा:-

- i) वार्ताकार संघ की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिश बोर्ड,
- ii) कार्यालय हेतु अनिवार्य सुविधाओं के साथ पर्याप्त जगह,
- iii) वार्ताकार संघ द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल एवं अपेक्षित सुविधाएँ
- iv) कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों के संबंध में पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में संघ के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा
- v) वार्ता हेतु बैठक की तिथि को कार्य में उपस्थिति मानना होगा,
- vi) आपस में तय किए गए अन्य सुविधाएँ।

16. संहिता की धारा 24 की उपधारा 3 के तहत निबंधक द्वारा परिवर्तित नाम अंकित किया जाएगा, नियम 9 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण पत्र के नीचे भाग में अपना हस्ताक्षर करेगा, ताकि नया नाम निबंधित हो जाए। श्रमिक संघ के सचिव इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

17. संहिता की धारा 24 की उपधारा 6 के तहत समामेलित श्रमिक संघ का निबंधन करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तब संहिता की धारा 24 की उपधारा (2) के अन्तर्गत समामेलन की सूचना प्राप्त होने पर यदि समामेलित श्रमिक संघ का मुख्यालय झारखंड राज्य में है, निबंधक दूसरे राज्य अथवा राज्यों के निबंधक श्रमिक संघों से इस हेतु सम्पर्क करेगा।

18. श्रमिक संघ का निबंधन हेतु 500 रुपये शुल्क भुगतेय होगा।

19. (1) धारा 26 के अंतर्गत श्रमिक संघ के नियमों में परिवर्तन संबंधी प्रति प्राप्त होने पर निबंधक, जब तक कि उनके पास मानने का कारण नहीं है कि श्रमिक संघ को नियमों द्वारा प्रदान की गयी तरीके से परिवर्तन नहीं किया गया है, नियम 8 के तहत परिवर्तन को पंजी में पंजीकृत करेगा और श्रमिक संघ के सचिव को इस तथ्य से अवगत कराएगा।

(2) परिवर्तन के निबंधन हेतु राशि 100 रुपये भुगतये होगा।

20. मान्यता हेतु आवेदन- (1) संहिता की धारा 27 की उपधारा 2 के अंतर्गत राज्य श्रमिक संघ की मान्यता हेतु प्रपत्र-ए में श्रमायुक्त, झारखण्ड के समक्ष आवेदन किसी श्रमिक संघ द्वारा समर्पित किया जा सकता है, जिसके पास झारखण्ड राज्य के एक तिहाई जिलों में उसके सदस्य जिसकी संख्या आठ हजार या अधिक हो, आवेदन के साथ श्रमिक संघ का निबंधन प्रमाण पत्र, संविधान/नियमावली एवं विनियमन, जिलावार सदस्यता पंजी की प्रति तथा इस आशय का शपथपत्र कि उनके द्वारा मान्यता हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तुत कथन एवं सूचनाएँ उनकी ज्ञान, सूचना व विश्वास में सत्य एवं सही है, संलग्न करेगा। श्रमायुक्त सभी पक्षों का सुनवाई करेंगे व मान्यता प्रदान करने या अस्वीकार करने का कारण उल्लेखित करते हुए लिखित रूप से पक्षों को सूचित करेगा।

(2) श्रमिक संघ के मामले में, श्रमिक संघ का फेडरेशन या राज्य संगठन होने के लिए, प्रत्येक सदस्य श्रमिक संघों के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प की प्रति फेडरेशन अथवा राज्य स्तरीय श्रमिक संघ के संगठन बनाने हेतु सहमति संबंधी अलग से किए गए बैठक जिसमें 50 या अधिक निबंधित श्रमिक संघ जो झारखण्ड राज्य में क्रियाशील हो की प्रति के साथ आवेदन प्रपत्र - एएए श्रमिक संघों के फेडरेशन के रूप में मान्यता हेतु आवेदन श्रमायुक्त के समक्ष दाखिल कर सकता है, जिसके साथ सदस्य श्रमिक संघों का निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति व सूची तथा एक इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा मान्यता संबंधी आवेदन में प्रस्तुत कथन एवं सूचनाएँ उनकी ज्ञान, सूचना व विश्वास में सत्य एवं सही है, संलग्न करेगा। श्रमायुक्त सभी पक्षों का सुनवाई करेंगे व मान्यता प्रदान करने या अस्वीकार करने का कारण उल्लेखित करते हुए लिखित रूप से पक्षों को सूचित करेगा।

21. अपील- (1) इस तहत की मान्यता के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तब असंतुष्ट श्रमिक संघ या फेडरेशन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 44 की उपधारा 1 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य में गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(2) औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष इस संबंध में अपील संबंधी ज्ञापन स्वयं या निबंधित डाक पावती सहित या इलेक्ट्रॉनिक तरीके तथा निबंधित डाक अथवा स्पीड डाक द्वारा समर्पित किया जाएगा।

(3) अपील के ज्ञापन में मामले का तथ्य, प्राधिकार का निर्णय, अपील का आधार एवं अपेक्षित राहत उल्लेखित रहेगा।

(4) प्राधिकार का निर्णय की प्रमाणित प्रति अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न करना होगा।

(5) अपील संबंधी ज्ञापन की प्रति होने पर प्राधिकार, औद्योगिक न्यायाधिकरण को संबंधित अभिलेख अग्रसारित करेगा।

(6) अपीलीय ज्ञापन की प्रति के 14 दिनों के भीतर प्रतिवादी बिन्दुवार अपना मंतव्य, अतिरिक्त दलीलों, यदि हो, अपीलीय प्राधिकार के पास अपीलार्थी के प्रति के साथ समर्पित करेगा।

(7) पक्षों को पर्याप्त अवसर सुनवाई के क्रम में प्रदान करने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकार अपना निर्णय दर्ज करेगा। निर्णय की प्रति पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से या व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकार को एक प्रति के साथ संबंधित अभिलेख वापस किया जाएगा।

22. (1) धारा 25 की उपधारा 1 के अंतर्गत नियम 9 के तहत निर्गत किए गए प्रमाण पत्र विघटन की सूचना के साथ प्रत्यावर्तित करना होगा। निबंधक विघटन को निबंधित कर इस निबंधन संबंधी तथ्य की सूचना अपने हस्ताक्षर से श्रमिक संघ के सचिव को भेजेगा।

2) श्रमिक संघ के विघटन के पश्चात् निधि की वितरण की स्थिति में यदि श्रमिक संघ के नियमावली में उल्लेखित नहीं हों, तब निबंधक धारा 25 की उपधारा 2 के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत विघटित श्रमिक संघ के निधि का वितरण कर सकेगा, सभी तरह के निधियों का जिसमें विघटन के समय राल के सदस्यों द्वारा योगदान किया गया है, निधियों का आवंटन उनके बीच अनुपात में करेगा। विघटन के पहले व वितरण के पूर्व श्रमिक संघ के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, निबंधक ऐसे सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि को देय राशि का भुगतान करेगा।

3) सभी पत्राचार व सूचनाएं श्रमिक संघ को ई-मेल या निबंधित डाक द्वारा उस श्रमिक संघ के मुख्यालय के पता पर किया जाएगा।

23. धारा 26 की उपधारा 1 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी (दो प्रति में) निबंधक के पास 30 जून तक प्रत्येक वर्ष इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा निबंधित डाक या स्पीड डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तथा यह प्रपत्र में होगा।

24. अंकेक्षण:- (1) इस नियम के उपखंड (2), (3), (4) एवं (5) में प्रावधित, वार्षिक लेखा परीक्षा किसी भी पंजीकृत श्रमिक संघ के खातों को अंकेक्षण, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 144 (1) के तहत कंपनियों के खाता का अंकेक्षण हेतु अधिकृत अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी श्रमिक संघ का वित्तीय वर्ष में किसी भी समय जब सदस्यता 2500 से अधिक नहीं रहा हो, लेखा का वार्षिक अंकेक्षण किया जा सकता है:-

(क) स्थानीय निधि खाता के परीक्षक द्वारा, या

(ख) स्थानीय सरकार द्वारा किसी भी लेखा या खाता विभाग द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि अंकेक्षक द्वारा जो 1000 रु0 प्रतिमाह से कम पेंशन प्राप्त नहीं करता हो।

(3) जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय श्रमिक संघ की सदस्यता 750 से अधिक नहीं था, खातों का लेखा परीक्षा आयोजित किया जा सकता है:-

(क) किसी भी दो व्यक्तियों द्वारा जो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश या किसी नगर परिषद्, जिला परिषद् या विधायी निकाय के सदस्य रहा हो,

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो सरकार के अधीन किसी अंकेक्षण या खाता विभाग द्वारा नियुक्त रहा हो, सरकार से प्रतिमाह 1000 रु0 से कम पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो,

(ग) ऐसे अंकेक्षक जो सरकार के सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त हो या निबंधक, सहकारी समितियां या किसी राज्य सहकारी संगठन जिसे इस हेतु सरकार द्वारा मान्य किया गया हो,

(4) जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में किसी श्रमिक संघ के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं रहा हो, वार्षिक लेखा अंकेक्षण श्रमिक संघ के किसी दो सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

(5) जहाँ श्रमिक संघ, संघों का फेडरेशन हो, और किसी वित्तीय वर्ष में उससे श्रमिक संघों की संबद्धता किसी भी समय क्रमशः 50, 15 तथा 5 से अधिक नहीं रहा हो, फेडरेशन के लेखा का अंकेक्षण किया जा सकता है यदि अवधि में किसी भी समय सदस्यता क्रमशः 2500, 750 तथा 50 से अधिक रहा हो।

25. (1) नियम 24 में प्रावधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति जिसे वर्ष के दौरान किसी भी समय श्रमिक संघ से संबंधित निधि या प्रतिभूति का कोई हिस्सा सौंपा गया था, श्रमिक संघ के खाता का अंकेक्षण करेगा।

(2) निबंधित श्रमिक संघ के सामान्य निधि से श्रमिकों के कल्याण सामाजिक सुरक्षा सदस्यों एवं उनके परिवार के लिए योजना और पदाधिकारियों का वेतन, परिवहन भत्ता जो संकल्प द्वारा पारित हो तथा स्थापन के व्यय पर किया जाएगा।

(3) धारा 15 की उपधारा 4 के अन्तर्गत श्रमिक संघ को कोई भी देय सदस्यता शुल्क, सामान्य निधि को छोड़कर, अधिकांश सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। परंतु यह सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं होगा।

26. इस नियमावली के अनुसार नियुक्त किए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को श्रमिक संघ की सभी पुस्तकें तक और वार्षिक विवरणी से संबंधित खातों एवं अभिश्रव को सत्यापन हेतु पहुँच प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात् लेखा परीक्षक द्वारा की गयी घोषणा को प्रपत्र- इ के साथ संलग्न किया जाएगा, जिसमें उसके हस्ताक्षर से यह कथन प्रदर्शित किया जाएगा कि उसके अथवा उनके कथन में विवरणी में क्या गलत है, क्या अभिश्रवहीन या इस संहिता के अनुसार नहीं है। दिए गए विवरण में यह इंगित होगा-

(क) प्रत्येक भुगतान जो श्रमिक संघ के नियम से अनाधिकृत प्रतीत होता है या इस संहिता के प्रावधान के विपरीत है,

(ख) किसी भी कमी या हानि की मात्रा जो किसी व्यक्ति के कदाचार या लापरवाही से होती है,

(ग) किसी भी राशि का वह भाग जो किसी व्यक्ति द्वारा खाता में नहीं लाया जाता है।

27. पंजीकृत श्रमिक संघ के राजनीतिक निधि का अंकेक्षण श्रमिक संघ के सामान्य निधि के अंकेक्षण के साथ एवं वही अंकेक्षक या अंकेक्षकों द्वारा किया जाएगा।

28. (1) श्रमिक संघों का पंजी जो नियम 8 के तहत संधारित है, किसी भी व्यक्ति द्वारा 100 ₹0 भुगतान पर निरीक्षण हेतु खुला रहेगा।

(2) किसी पंजीकृत श्रमिक संघ से प्राप्त कोई दस्तावेज जो निबंधक के पास हो, उस श्रमिक संघ के किसी सदस्यता द्वारा निरीक्षण के लिए 100 ₹0 प्रत्येक दस्तावेज भुगतान कर निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) निबंधक द्वारा तिथि, समय एवं स्थान दस्तावेजों का निरीक्षण हेतु निर्धारित किया जा सकेगा।

(4) निबंधक किसी पंजीकृत श्रमिक संघ या उनके सदस्य को 50 ₹0 प्रति पृष्ठ के भुगतान पर किसी ऐसे दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दे सकेगा।

29. श्रमिक संघ के निबंधन हेतु शुल्क, अभिलेख का निरीक्षण, अभिलेख का प्रमाणित प्रति आदि के लिए सभी भुगतान निर्धारित रसीद में ई-चालान के माध्यम से राज्य सरकार के शीर्ष में किया जाएगा।

30. फार्म - बी एवं डी जो इन नियमों द्वारा निबंधक से हस्ताक्षरित या हस्ताक्षर के लिए आवश्यक है, उसके निदेश और उसके स्थान पर उसके द्वारा नियुक्त किसी अधीनस्थ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा इस हेतु लिखित निदेश पर हस्ताक्षर या हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

अध्याय - IV

स्थायी आदेश

31. धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि:- (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है या तत्पश्चात वह संबंधित प्रमाणित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विशिष्ट तिथि को जहां से आदर्श के प्रावधान जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं, को मान्य किया गया है, सूचित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में सूचना मिलने पर प्रमाणन अधिकारी ऐसी रसीद की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर यह देख सकता है कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं और उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करते हैं। मॉडल के स्थायी आदेश, जिन्हें अपनाया नहीं गया है और नियोक्ता को इस तरह के निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इसके अलावा, विलोपन या संशोधन के द्वारा, स्थायी आदेश में संशोधन करने का निर्देश देगा। अनुपालन रिपोर्ट केवल उन प्रावधानों के संबंध में है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी को संशोधित करने की मांग करते हैं और ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एवं निबंधित डाक या द्रुत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(3) यदि उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को अपनाया गया मान लिया जाएगा।

32. धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड (ii) के अंतर्गत जहां कोई श्रमिक संघ संचालित नहीं है वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया- जैसा कि उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया है, जहां ऐसा कोई श्रमिक संघ नहीं है तो प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की एक बैठक बुलाएगा जिसके चुने जाने पर स्थायी आदेश की एक प्रति को किसी प्रकार की आपत्ति, यदि कोई हो, की अपेक्षा हेतु जिसे कामगार नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप स्थायी आदेश मसौदे के आदेश के लिए करना चाहे, अग्रेषित करेगा।

33. धारा 30 की उप-धारा (8) के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि- स्थायी आदेशों अथवा स्थायी आदेशों में संशोधन, जिसे धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित या आदेश की प्रतियों की धारा 33 की उप-धारा (1) में तहत, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी प्रमाणन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा, लेकिन उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाया है पहां धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत डीमंड सर्टिफिकेशन के मामलों में किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

34. धारा 30 की उप-धारा (9) के तहत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी - (i) आदर्श स्थायी आदेश में, विवरण जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क

नंबर और उसमें काम करने वाले कामगारों की संख्या के साथ-साथ उस श्रमिक संघ का विवरण शामिल होगा जिससे कामगार जुड़े हों; तथा

(ii) मौजूदा स्थायी आदेशों में संशोधन का प्रारूप, ऐसे स्थायी आदेशों के विवरणों को सम्मिलित करेगा जो एक सारणीकृत विवरण के साथ संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रभावी और प्रस्तावित संशोधन के प्रासंगिक प्रावधान में से प्रत्येक के विवरणों का कारण दिया गया है और इस तरह के विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

35. धारा 30 की उप-धारा (10) के अंतर्गत समान स्थापना में मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्त- समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में धारा 30 के तहत और आगे की कार्यवाही के लिए उप-धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट संबंधित श्रमिक संघ के साथ परामर्श करने के बाद संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं :

बशर्ते कि समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और **श्रमायुक्त, झारखंड** को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

36. धारा 32 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान का तरीका :-

(1) कोई नियोक्ता अथवा श्रमिक संघ जो धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रमाणन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर तालिकाबद्ध रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित अथवा संशोधित अथवा लोप किया जाना अथवा जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारणों के विवरण उल्लेख होगा और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एवं निबंधित डाक या द्रुत डाक से दायर की जाएगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा -

(क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के श्रमिक संघ को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो;

(ख) जहां अपील किसी श्रमिक संघ द्वारा दायर की जाती है, वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इसे अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी उस साक्ष्य को लेगा जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक माना गया हो और पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील का निपटान करेगा।

37. धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे रखने का ढंग - (1) धारा 30 के अंतर्गत मानद सत्यापन के मामले को छोड़कर सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से सत्यापित अथवा सत्यापित माने गए स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अंतर्गत अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश की विषय वस्तु को नियोक्ता द्वारा हिंदी में अथवा अंग्रेजी में तथा जिस राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है उस राज्य की राजभाषा में रखा जाएगा।

38. धारा 34 के अंतर्गत स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर -

(1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सभी प्रमाणित अथवा प्रमाणित माने गए अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होगा:

- (क) प्रत्येक स्थाई आदेश को दी गई विशिष्ट संख्या;
- (ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम;
- (ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति;
- (घ) प्रत्येक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की तारीख अथवा मानद प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख;
- (ङ) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन को क्षेत्र; और
- (च) स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई विवरण तथा ऐसे सभी स्थाई आदेशों के डेटाबेस का निर्माण करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित स्थाई आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थाई आदेशों, जैसा भी मामला हो, के प्रति पृष्ठ दो रुपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजनार्थ भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।

39. धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश में संशोधन हेतु आवेदन - धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्यमान स्थाई आदेश में संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दिया जाएगा तथा तालिका में विवरण जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रासंगिक उपबंधों का विवरण जिसमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत पंजीकृत श्रमिक संघों का विवरण सहित संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थाई आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय - V परिवर्तन की सूचना

40. धारा 40 के खण्ड (झ) के अंतर्गत प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सूचना देने की विधि :-

(1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को **प्रारूप-II** में नोटिस देगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशिष्ट रूप से नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में दर्शाया जाएगा:

बशर्ते कि जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित कोई पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा एक से अधिक संघ हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति ऐसे श्रमिक संघ के सचिव अथवा ऐसे श्रमिक संघों के प्रत्येक सचिव को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी।

अध्याय - VI विवादों को न्यायनिर्णयन हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना

41. धारा 42 की उप-धारा (3) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन समझौते का प्रपत्र एवं उसका तरीका :- (1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां न्यायनिर्णयन समझौता **प्रपत्र - III**

में होगा तथा समझौते के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते के साथ मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित न्यायनिर्णयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे :-

- (i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जहां नियोक्ता एनकारपोरेटेड कम्पनी है अथवा अन्य निकाय कार्पोरेट है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कार्पोरेशन के एजेंट, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा;
- (ii) कामगारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस संबंध में प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;
- (iii) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है।

स्पष्टीकरण:- (1) इस नियम में, 'अधिकारी' से अभिप्राय ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा नियोक्ता संघ से किसी अधिकारी से है।

(2) इस नियम में 'अधिकारी' से अभिप्राय निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, नामतः-

- क) अध्यक्ष;
- ख) उपाध्यक्ष;
- ग) सचिव (महासचिव सहित)
- घ) एक संयुक्त सचिव; और

इ) संघ के अध्यक्ष एवं सचिव की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत श्रमिक संघ का कोई अन्य अधिकारी।

42. धारा की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने का तरीका- जहां कोई औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित किया गया है तथा झारखण्ड सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह उन नियोक्ताओं एवं कामगारों की सूचना के लिए जो इस न्यायनिर्णयन समझौते के पक्षकार नहीं हैं परन्तु विवाद से संबंधित हैं, इस संबंध में सरकारी राजपत्र में तथा इलेक्ट्रॉनिक ढंग से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त आर्बीट्रेटर के समक्ष अपने मामले को रख सकें।

43. जहां धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कोई श्रमिक संघ नहीं है, वहां कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका - जहां कोई श्रमिक संघ नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक खण्ड (ग) के अनुसरण में आर्बीट्रेटर्स के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्रपत्र - IV में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय - VII

औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु तंत्र

44. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने का तरीका तथा धारा 44 की उप-धारा (5) एवं धारा 46 के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें - (1) कोई भी व्यक्ति औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं होगा, जब तक कि,

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रहा हो,

(ख) वह कम से कम तीन साल की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो,

- (2) न्यायिक सदस्य अपने पदग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या 65 वर्ष का उम्र प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
- (3) न्यायिक सदस्य के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति होने के मामलों में, राज्य सरकार न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य नियुक्त करेगी।
- (4) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/- रुपये (निश्चित) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह झारखंड सरकार में वर्ग 'ए' के समतुल्य वेतनमान को स्वीकार्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा के मामले में, उसके वेतन में उनके द्वारा आहरित पेंशन की राशि से कटौती की जाएगी।
- (5) (क) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवा के मामले में, पेंशन हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा की गणना उस सेवा के मौजूदा नियमों के अनुसार की जाएगी, जिससे वे संबंधित हैं एवं वे उनके लिए लागू पेंशन के नियम और सामान्य भविष्य निधि (झारखण्ड सेवा) नियम, 1960 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।
(ख) वे उनके पुनः रोजगार की अवधि के दौरान मौजूदा भविष्य निधि में शामिल हो सकते हैं और उन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (6) एक न्यायिक सदस्य झारखंड सरकार के ग्रुप 'ए' के अधिकारी के लिए स्वीकार्य दर पर किराया मुक्त सुसज्जित आवास या मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।
- (7) उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य अवकाश मान्य होंगे।
- (8) (क) न्यायिक सदस्य हेतु अवकाश स्वीकृति के लिए झारखंड सरकार स्वीकार्य प्राधिकार होगी।
(ख) राज्य सरकार न्यायिक सदस्य के विदेश यात्रा हेतु स्वीकृति प्राधिकार होगी।
- (9) (क) न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता झारखंड सरकार में ग्रुप 'ए' पद पर धारण करने वाले अधिकारी की पात्रता अनुसार स्वीकार्य होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में योगदान हेतु अपने गृहनगर से मुख्यालय तथा सेवा समाप्ति के उपरान्त मुख्यालय से गृहनगरी का स्थानांतरण यात्रा भत्ता झारखंड सरकार में समूह 'ए' अधिकारी के रूप में स्वीकार्य होगा।
- (10) न्यायिक सदस्य झारखंड सरकार में ग्रुप 'ए' के पद धारण करनेवाले अधिकारी के लिए स्वीकार्य अवकाश भत्ता रियायत का हकदार होगा।
- (11) न्यायिक सदस्य झारखंड सरकार में ग्रुप 'ए' के पद धारण करनेवाले अधिकारी के लिए स्वीकार्य परिवहन भत्ते का हकदार होगा।
- (12) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस हेतु झारखंड सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता।
- (13) (क) यदि झारखंड सरकार को किसी न्यायिक सदस्य के विरुद्ध सत्यापन होने योग्य दुर्व्यवहार या न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने की अक्षमता लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो वह इसकी प्राथमिक जाँच करेगी।
(ख) यदि प्रारम्भिक जाँच में झारखंड सरकार का मत है कि न्यायिक सदस्य द्वारा अभद्रता अथवा उनके अक्षमता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार है, तो उच्च न्यायालय को इससे संदर्भित करेगी।
(ग) जांच छः माह में अथवा झारखंड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा होगा।
(घ) जांच समाप्ति के पश्चात, प्रतिवेदन झारखंड सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग तथा पूर्ण मामले में, ऐसी टिप्पणियों के साथ उल्लेख होगा, जो वह ठीक समझे।

(ड) जाँच अधिकारी या समिति सीविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(14) एक न्यायिक सदस्य झारखंड सरकार को संबोधित करते हुए स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

बशर्ते की न्यायिक सदस्य, जब तक की उसे झारखंड सरकार द्वारा पदभार त्यागने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, ऐसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(15) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व इन नियमों से संलग्न प्रपत्र-V में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

(16) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की सेवा शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधीकरण द्वारा झारखंड सरकार को निर्णय हेतु भेजा जाएगा, और सरकार का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(17) झारखंड सरकार को किसी भी व्यक्ति, श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी भी प्रावधान में लिखित रूप में संधारण किए जाने को कारणों के साथ छूट देने की शक्ति प्राप्त होगी।

45. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति भरने की पद्धति और धारा 44 की उप-धारा (5) एवं धारा 46 की उप-धारा (6) के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन और भत्ते एवं अन्य भत्तों हेतु प्रक्रिया - (1) कोई सदस्य औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसे राज्य में अपर श्रमायुक्त अथवा संयुक्त श्रमायुक्त के रूप में 3 साल का कार्यानुभव ना रहा हो, तथा श्रम कानूनों से संबंधी मामलों को संभालने का पर्याप्त अनुभव के साथ कानून की डिग्री न हो।

(2) औद्योगिक न्यायाधीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योग्यता, पिछले प्रदर्शन की उपयुक्तता, ईमानदारी के साथ-साथ अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया तय की जायेगी।

(3) एक प्रशासनिक सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पदधारण करेगा।

(4) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, झारखंड सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अन्य औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(5) प्रशासनिक सदस्य को 2,25,000/- प्रतिमाह (निश्चित) वेतन दिया जाएगा तथा वह समान वेतन करने वाले ग्रुप 'ए' पद पर धारण करने वाले झारखंड सरकार के समरूप वेतन पाने वाले अधिकारी के लिए स्वीकार्य भत्ते लेने का हकदार होगा। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उनके वेतन में उनके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि से कम कर दिया जायेगा।

(6) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधीकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह सामान्य भविष्य निधि द्वारा शासित होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार भविष्य निधि योजना में शामिल हो सकते हैं। औद्योगिक न्यायाधीकरणों में प्रशासनिक सदस्य द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) समान वेतन वाले ग्रुप 'ए' पद धारण करने वाले झारखंड सरकार के एक अधिकारी के लिए स्वीकार्य दर पर प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास या मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।

(8) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में अवकाश संबंधी अधिकारी के सेवा में विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में छुट्टी हेतु समान वेतन पाने वाले ग्रुप 'ए' पद धारण करने वाले झारखंड सरकार के किसी अधिकारी के अनुरूप स्वीकार्य अनुसार होगा।

(9) (क) झारखंड सरकार सदस्य के लिए छुट्टी संस्वीकृत करने वाले प्राधिकार होगी।

(ख) झारखंड सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को स्वीकृत करने वाली प्राधिकार होगी।

(10) (क) प्रशासनिक सदस्य की यात्रा भत्ता समान वेतन पाने वाले झारखंड सरकार में ग्रुप 'ए' के पद धारण करने वाले अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण में पदभर ग्रहण करने हेतु गृह नगर से मुख्यालय एवं कार्य समाप्ति पर मुख्यालय से गृहनगर का स्थानांतरण भत्ता भी समान वेतन पाने वाले झारखंड सरकार के ग्रुप 'ए' पद धारण करने वाले अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(11) प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले झारखंड सरकार के ग्रुप 'ए' पद पर आसीन अधिकारी को अनुमान्य स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा।

(12) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले ग्रुप 'ए' अधिकारी को यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का हकदार होगा।

(13) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त झारखण्ड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न किया जाए।

(14) (क) झारखण्ड सरकार द्वारा यदि कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो यह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, झारखण्ड सरकार की यह राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के किसी कदाचार अथवा अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो वह जांच करेगी।

(ग) जाँच अधिकारी या समिति छः माह के समय में अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आगे किसी अवधि के भीतर जांच पूरा करेगी।

(घ) जांच की समाप्ति के बाद, जाँच अधिकारी या समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए झारखण्ड सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(ङ) जाँच अधिकारी या समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित कार्यप्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित सहित अपनी स्वयं की कार्यप्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेगी।

(15) एक प्रशासनिक सदस्य लिखित रूप से झारखण्ड सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित इस आशय का अपना सूचना देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

बशर्ते की वह प्रशासनिक सदस्य, झारखण्ड सरकार द्वारा शीघ्र अनुमति न दिए जाने तक, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के उसके कार्यालय में प्रवेश करने तक अथवा उसके कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(16) झारखण्ड सरकार, सत्यापन और संतुष्टि पर किसी भी प्रशासनिक सदस्य को अपने पद से हटा देगी, जो -

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

- (ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो; या
- (ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
- (घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या
- (ङ) जनहित के प्रतिकूल पद पर बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो:

बशर्ते कि जहां किसी प्रशासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्थवित हो, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(17) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद में दाखिल होने से पहले, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र- V में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(18) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के सेवा शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधीकरण द्वारा झारखण्ड सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा इस पर झारखण्ड सरकार का निर्णय अन्तिम और वाध्यकारी होगा।

(19) झारखण्ड सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान में ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

46. धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सुलह कार्यवाही करने की पद्धति, उप-धारा (4) के अंतर्गत पूर्ण रिपोर्ट, तथा धारा 53 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवेदन तथा इस आवेदन पर निर्णय लेने की पद्धति - (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अंतर्गत सूचना दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी संबंधित पक्षों को पहला नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह सुलह संबंधी कार्यवाही आरंभ करने का इरादा रखता है एवं ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय में जैसे वह उचित समझे तुरंत नियोक्ता और सम्बंधित कामगार दोनों की साक्षात्कार कि व्यवस्था करेगा।

(2) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा उक्त विवाद के मामले से संबंधित अपने-अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(3) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटारा करने के उद्देश्य से सुलह कि कार्यवाही करेगा और ऐसे सभी काम कर सकता है जो वह उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए पार्टियों को प्रेरित करने के उचित समझे।

(4) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी उस तारीख से तीस दिनों के भीतर झारखंड सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जिस पर सुलह कि कार्यवाही होगी और साथ ही सम्बंधित पक्षों को सूचित करते हुए बसे झारखण्ड सरकार द्वारा बनाये गए पोर्टल पर भी प्रेषित करेगा।

(5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजक, कामगार या श्रमिक संघ, जैसा भी मामला हो, कि प्रस्तुतियां शामिल होंगी, और इसमें सुलह अधिकारी द्वारा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारों के इंकार के कारण तथा सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्त, कामगार या श्रमिक संघ, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी, और इनमें सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों - सौहार्दपूर्ण समझौते के पक्ष, विद को सुलझाने के लिए पार्टियों के इनकार के कारण और सुलह अधिकारी के निष्कर्ष को भी शामिल किया जायेगा।

(6) कोई भी विवाद जो सुलह की कार्यवाही के दौरान नहीं सुलझा है, तो संबंधित पक्ष में से कोई भी उप-नियम (4) के तहत रिपोर्ट की तारीख से 90 दिनों के भीतर ट्रिप्यूनल के समक्ष प्रपत्र - VI में एक आवेदन कर सका है।

(7) कोई औद्योगिक विवाद के मामले जी सुलह कि कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं गया है, न्याय निर्णयन के लिए सम्बंधित पक्षों में से किसी एक के द्वारा न्यायाधीकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। प्रथमन/न्यायाधीकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची और गवाहों कि सूची के साथ पूर्ण विवरण के साथ दावे को एक बयान तीस दिन के भीतर दायर करने का निर्देश देगा। इस तरह के बयान कि एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक या प्रामाणिक सेवा द्वारा प्रत्येक विरोधी पक्ष को राज्य सरकार द्वारा अनुमानित किसी भी तरीके से भेजी जा सकती है।

(8) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद को उठाने वाले पक्ष द्वारा दावे के बयान और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ दूसरे पक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया है, न्यायाधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र और एक महीने की अवधि के भीतर पहली सुनवाई तय करेगा। विरोधी पक्ष या पक्षों द्वारा पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों और उसकी सूची और गवाहों की सूची यदि कोई हो, के साथ अपना लिखित बयान दाखिल करेंगे और साथ ही इसकी एक प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को प्रेषित करेंगे।

(9) जहाँ न्यायाधिकरण पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्ष ने उसके निर्देशों के बावजूद, दावे के बयान और अन्य दस्तावेजों की प्रति विरोधी पक्ष या पार्टियों को उपलब्ध नहीं कराया है, वह इस हेतु पर्याप्त कारण पाने पर प्रति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगा तथा विरोधी पक्ष या पक्षों को बयान दाखिल करने के लिए 15 दिनों का विस्तार प्रदान करेगा।

(10) साक्ष्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में दर्ज किए जायेंगे या हल्लेनामें पर दायर किए जा सकते हैं। लेकिन हलफनामे के मामले में विरोधी पक्ष को हलफनामा दाखिल करने वाले प्रत्येक साक्षी से जरह करने का अधिकार होगा। जहाँ प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा होती है, न्यायाधिकरण, जो बयान दिया जा रहा है, उसके सार का एक ज्ञापन तैयार करेगा। मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय औद्योगिक न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश-XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(11) साक्ष्य के पूरा होने पर, तर्क तुरंत सुना जा सकता है या तर्कों के लिए एक तारीख तय की जा सकती है, जो सबूत के बंद होने के पन्द्रह दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(12) न्यायाधीकरण आम तौर पर एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की अनुमति नहीं देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के कहने पर कुल तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जायेंगे।

बशर्ते कि औद्योगिक न्यायाधीकरण लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन कि अनुमति नहीं दी जाएगी।

(13) यदि कोई पक्ष चूक करता है या किसी चरण में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो औद्योगिक न्यायाधीकरण मामले को एकतरफा आगे बढ़ा सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है।

बशर्ते कि औद्योगिक न्यायाधीकरण निर्णयन जमा करने से पहले दायर किए गए किसी भी पक्ष के आवेदन पर इस आदेश को रद्द कर सकता है अगर यह संतुष्ट है कि पार्टी/पक्ष की अनुपस्थिति उचित आधार पर थी, और विवाद के रूप में मामले को तय करने के लिए आगे बढ़े।

(14) औद्योगिक न्यायाधीकरण सम्बंधित पक्षों और झारखण्ड सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना निर्णयन कि सूचना देगा और निर्णयन कि घोषणा कि तारीख से एक महीने के भीतर झारखण्ड सरकार द्वारा बनाये गए पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(15) औद्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी व्यक्ति को सम्मन और जाँच कर सकता है जिसका साक्ष्य मामले को तय करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है तथा इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर दीवानी अदालत माना जाएगा।

(16) जहां मूल्यांकनकर्ताओं को औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अंतर्गत इसे सलाह देने के लिए नियुक्त किया जायेगा वहां औद्योगिक ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं की सलाह प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसी सलाह ऐसे औद्योगिक न्यायाधीकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी।

(17) किसी निर्णयन में शामिल एक पक्ष, जो निर्णयन या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, निम्नलिखित तरीके इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क जमा करने के बाद निर्णयन या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, अर्थात्,

(क) औद्योगिक न्यायाधीकरण की किसी भी कार्यवाही में एक निर्णयन या दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त करने हेतु 10 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से लिया जायेगा।

(ख) ऐसे किसी भी निर्णयन या आदेश या दस्तावेज की एक प्रति को प्रमाणित करने के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति पृष्ठ देय होगा।

(ग) जहाँ कोई एक पक्ष/पार्टी किसी निर्णयन या दस्तावेज की प्रति तत्काल सुपुर्दगी के लिए आवेदन करता है, वहाँ इस नियम के तहत लगने वाले शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क दे होगा।

(18) औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को साक्ष्य मांगे जाने पर परीक्षण/प्रतिपरीक्षण और औद्योगिक न्यायाधिकरण को सम्बोधित करने का अधिकार होगा।

(19) औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगी।

बशर्त कि औद्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निदेश दे सकता है।

बशर्त यह भी कि औद्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी स्तर पर निर्देश दे सकता है कि किसी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे के समक्ष की जाएगी।

अध्याय - VIII

हड़ताल या ताला बंदियां

47. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का सूचना दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह सूचना दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यह सूचना देने की पद्धति - धारा 62 की उप-धारा

(1) में संदर्भित हड़ताल की सूचना किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को प्रपत्र - VII में दिया जाएगा जो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के पंजीकृत श्रमिक संघ के सचिव या पांच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या अन्यथा संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त. झारखण्ड को पृष्ठांकित करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा।

48. धारा 62 की उप-धारा (5) के अंतर्गत तालाबंदी की सूचना देने की पद्धति तथा धारा 62 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रक्रिया - (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का सूचना किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा प्रपत्र - VIII में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या अन्यथा संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त. झारखण्ड और राज्य सरकार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक संघ के सचिव को दिया जाएगा। यह सूचना नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए सूचना बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का सूचना प्राप्त करता है, तो वह इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त, झारखण्ड को देगा।

(3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का सूचना देता है, तो वह इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त, झारखण्ड को देगा।

अध्याय -IX

ले-ऑफ, छंटनी और बंदी

49. धारा 70 के खण्ड (ग) के अंतर्गत कामगार की छंटनी से पहले सूचना देने की पद्धति - यदि नियोजक अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा करता है जो इसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो यह नियोजक राज्य सरकार, और श्रमायुक्त, झारखण्ड, सम्बंधित क्षेत्र के सुलह पदाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र - IX में इस छंटनी का सूचना देगा।

50. धारा 72 के अंतर्गत छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु अवसर देने की पद्धति - जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार मौजूद हों, तो उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक छंटनी किए गए कामगारों जो भारत के नागरिक हों को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई-मेल के माध्यम से कम-से-कम 10 दिन पहले अवसर की पेशकश करेगा। यदि ये कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें वरीयता देगा।

51. धारा 74 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अभिप्रेत बंदी के लिए नियोजक द्वारा सूचना देने की पद्धति - यदि नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा करता है, तो वह इस बंदी का सूचना राज्य सरकार को प्रपत्र - IX में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि संबंधित श्रमायुक्त, झारखण्ड को ई-मेल या पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।

अध्याय - X

कतिपय प्रतिष्ठानों में ले-ऑफ, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान

52. धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिप्रेत ले-ऑफ के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को इस आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की पद्धति - धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोजक द्वारा प्रपत्र - X में अभिप्रेत ले-ऑफ के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का आवेदन किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। यह सूचना नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए सूचना बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

53. धारा 78 की उप-धारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 की उप-धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

54. धारा 79 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कामगारों को आशयित छंटनी और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली - धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा नियोक्ता द्वारा प्रपत्र - X में किया जाएगा, जिसमें से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को

नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

55. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि जब यह आदेश जारी किया गया से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

56. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली - कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का विचार करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय-X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का संभावना है, उससे कम-से-कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार की अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र - X में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ-ही-साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

57. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप-धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने की समीक्षा कर सकती है, जो तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश पारित किए गए हैं।

अध्याय - XI

कामगार पुर्नकौशल निधि

58. धारा 83 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निधि के उपयोग करने की प्रणाली - प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अंतर्गत किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि का अंतरित करेगा। नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वह निधि से प्राप्त राशि अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुर्नकौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगारों के नाम सहित सूची राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि प्रत्येक कामगारों को उनके बैंक खाते का विवरण के संबंध में अंतिम आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर राशि उनके संबंधित खाते में अंतरित किया जा सके।

अध्याय - XII

अपराध और दंड

59. धारा 89 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराधों के प्रशमन हुआ है, की प्रणाली और धारा 89 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारित किसी अपराध की प्रशमन हेतु आवेदन करने की प्रणाली- (1) धारा 89 की उपधारा (1) के तहत अपराधों की प्रशमन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्रशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन स्थापित नहीं है, यदि प्रशमन अधिकारी का यह विचार है कि संहिता के तहत कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अंतर्गत प्रशमन की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी प्रपत्र - XI में अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना भेजेगा। ऐसे फॉर्म के भाग - I में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-

साथ अपराधी और उसके अन्य विवरणों के नाम को अंतर-निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, प्रशमन राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध की प्रशमन हुई है तो फॉर्म का **भाग-II** उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और फॉर्म के **भाग-III** में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन शामिल होंगे यदि अपराध को कम करना चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक निरंतर अद्वितीय संख्या आसानी से पहचान के प्रयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण होंगे जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान आदि।

(2) जिन अभियुक्तों को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना दिया गया है, वे अपने द्वारा भरे गए फॉर्म के **भाग-III** को इलेक्ट्रॉनिक रूप और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रशमन अधिकारी को भेज सकते हैं और प्रशमन राशि को सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर सूचना में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में, जमा कर सकता है।

(3) जहां अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में स्थापित किया गया है, वह न्यायालय में उसके विरुद्ध अपराध को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के प्रावधानों के अनुरूप प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध के निर्धारण की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध को शमन करेगा; और

(क) यदि अभियोजन किए जाने के पूर्व अपराध का प्रशमन किया जाता है, तब अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के हेतु कोई शिकायत स्थापित नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के तहत अभियोजन स्थापित होने के बाद अपराध का शमन किया जाता है, इसके बाद, प्रशमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा जैसे कि कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अंतर्गत संघटन के अनुसरण में कार्रवाई करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा।

(5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, इस नियम के अंतर्गत प्रशमन अधिकारी इस कानून के तहत अपराध को शमन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय - XIII

प्रकीर्ण

60. धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार -

(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसपर यह संहिता लागू होती है, से जुड़े प्रत्येक श्रमिक संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में “संरक्षित कामगार” के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।

(2) नियोक्ता धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अध्याधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ “संरक्षित कामगार” होने के लिए मान्यता देगा और उप-नियम (1) के अंतर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह

दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में संघ को सूचित करेगा, जो ऐसे पत्राचार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा।

(3) जहां नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में कुल नाम प्राप्त होते हैं, नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरक्षित कामगारों को मान्यता दी जाएगी।

बशर्ते कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजीकृत श्रमिक संघ हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में सूचित करेगा जो उसके लिए आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या है।

और इस उप-नियम के तहत एक संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या जहां संरक्षण चाहने वाले संघ के अधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, संघ उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अंतर्गत 'संरक्षित कामगारों' की पहचान से जुड़े किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी पंजीकृत श्रमिक संघ के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को उपश्रमायुक्त या सहायक श्रमायुक्त या श्रम अधीक्षक को भेजा जाएगा, जिसपर उनका निर्णय होगा।

61. धारा 91 के अंतर्गत असंतुष्ट कामगार द्वारा शिकायत करने की प्रणाली - (i) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत पद या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र-XII द्वारा किया जाएगा और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियां होनी चाहिए।

(ii) उप-नियम (1) के अंतर्गत शिकायतकर्ता या सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, मामले के तथ्यों से परिचित हो, को संतुष्ट करने वाले कामगार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक शिकायत सत्यापित की जाएगी।

62. धारा 94 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को प्राधिकृत करने की प्रणाली - जहां कामगार किसी भी श्रमिक संघ का सदस्य नहीं है, तो, उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उसके साथ जुड़े किसी भी श्रमिक संघ के कार्यकारी या अन्य पदाधिकारी का कोई सदस्य जिसमें कामगार नियोजित हैं, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संजिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है जिसमें कामगार प्रपत्र-IV में कोई पक्ष है।

63. धारा 94 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए नियोजक को प्राधिकृत करने की प्रणाली - जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह प्रपत्र-IV में प्राधिकृत कर सकता है, जो कि जुड़े हुए नियोक्ताओं के किसी भी संघ के एक अधिकारी या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा संलग्न है, वह उद्योग जिसमें किसी पक्ष के विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न है।

64. धारा 85 की उप-धारा के अंतर्गत जांच की प्रणाली -

शिकायत - (1) धारा 86 की उप-धाराओं (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11), और (20) और धारा 89 की उप-धारा (7) के अंतर्गत किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर उसको धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार के उप सचिव के पद के समान या उससे उच्च अधिकारी (बाद में जांच अधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा जांच की जाएगी।

(2) नोटिस को जारी करना - यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और समाधान पोर्टल पर पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ एक निर्दिष्ट तिथि पर उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी निर्दिष्ट तिथि को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है:

बशर्ते कि शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन न दिए जाएं।

इसके अतिरिक्त यह कि जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष या किसी भी पक्ष, जैसा भी मामला हो, को सुनने के लिए अपने विवेक पर अनुमति दे सकते हैं।

(5) प्राधिकार प्रदान करना - धारा 85 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रकट होने का प्राधिकार एक प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाएगा जिसे सुनवाई अधिकारी को शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

(6) प्रकट होने की अनुमति - कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का विचार रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकॉर्ड में शामिल करेगा।

(7) दस्तावेजों की प्रस्तुती - शिकायत से संबंधित शिकायत या अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को स्वयं प्रस्तुत को स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है।

(8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की तारीख का सत्यापन या सत्यापन किए जाने वाले कारण, या जैसा भी मामला हो, का सत्यापित करेगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसे कोई पृष्ठांकन आवश्यक नहीं होगा।

(9) शिकायत पर विचार करने से इंकार -

(1) जांच अधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई शिकायत पर विचार करने से मना कर सकता है यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच अधिकारी संतुष्ट है, तो कारणों के लिए लिखित में दर्ज किया जाना है कि-

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकर्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है।

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(2) जांच अधिकारी शिकायत का पर विचार करने से इनकार कर सकता है, जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से दोषों को ठीक करने के लिए कह सकता है और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत को ठीक नहीं किया जा सकता है तो वह दोषों को दर्शाने वाली शिकायत वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो दोषों को दर्शाते हुए उसे वापस कर देगा। दोषों को ठीक करने के बाद, यदि शिकायत को फिर से प्रस्तुत कि जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए प्रस्तुतिकरण की तारीख को इस हेतु माना जाएगा।

(10) कार्यवाहियों के अभिलेख - जांच अधिकारी सभी मामलों में विवरण सहित आदेश पारित करने के समय विवरण, अर्थात् शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपरीत पक्ष या पक्षों का नाम और पता, किए गए अपराध का खंडवार विवरण, विपरीत पक्ष की दलील, कारण के निष्कर्षों एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर के साथ लगाया गया जुर्माना, तारीख और जगह।

(11) शक्तियों का प्रयोग - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच अधिकारी को सिविल कोड कर पहली अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों द्वारा प्रक्रिया के संबंध में निर्देशित किया जायेगा। प्रक्रिया, 1908 ऐसे परिवर्तनों के साथ जो जाँच अधिकारी आवश्यक समझें, उनके सार को प्रभावित न करते हुए उन्हें अपने मामले के अनुकूल बनाने के लिए, और जहाँ वे इस संहिता या नियमों के स्पष्ट प्रावधानों के साथ विपरीत करते हैं।

(12) आदेश या निर्देश कब किया जाना है- जांच अधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए जाने वाले भविष्य की तारीख पर आदेश या निर्देश देगा।

(13) दस्तावेजों का निरीक्षण- कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विरोधी पक्ष या उसका प्रतिनिधि है या उप-नियम (3) के तहत अनुमत कोई भी मामले में जाँच अधिकारी के पास दायर किसी भी शिकायत या किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा, जो एक पक्ष है।

फार्म-ए
(नियम- 7 देखें)

श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन

दिनांक-.....

1. इसके द्वारा हम..... एक श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
2. ईमेल-आईडी के साथ संघ के प्रधान कार्यालय का पता-
3. संघ दिनांक-..... को अस्तित्व में आया।
4. संघ उद्योग (या पेशे) में लगे नियोक्ताओं / श्रमिकों का एक संघ है
- 5 श्रमिक संघ के अधिकारियों के विवरण संलग्न अनुसूची- I में दिए गए हैं,
6. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 7 में उल्लेखित मामलों के लिए किए गए प्रावधान अनुसूची II में दर्शाया गया है।
7. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 8 (2) के आलोक में अपेक्षित विवरणियाँ अनुसूची III में हैं। (संघ जो आवेदन किए जाने के एक वर्ष के भीतर अस्तित्व में आया हो , उनके द्वारा नहीं भरा जाएगा।)
8. हम इस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं *

	नाम	पेशा	पता	आधार संख्या	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

क्या प्राधिकार सामान्य बैठक के एक प्रस्ताव द्वारा दिया गया था, यदि नहीं, तो किस तरीके से दिया गया। उल्लेखित करें

सेवा में,

निबंधक,

श्रमिक संघ, झारखंड

अनुसूची I
अधिकारियों की सूची

शीर्षक	नाम	पेशा	आयु	पता	पेशा

अनुसूची - II

नियमों का संदर्भ

कॉलम I में विस्तृत कई मामलों के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की संख्या नीचे कॉलम 2 में दिया गया है

क्रमांक	मामला	नियमावली की संख्या
1.	श्रमिक संघ का नाम	
2.	वह संपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए संघ की स्थापना की गई है ।	
3.	जिस उद्देश्य के लिए संघ के सामान्य निधि लागू होगा।	
4.	सदस्यों की सूची का रखरखाव	
5.	सदस्यों की सूची के निरीक्षण के लिए अधिकारी और सदस्य को प्रदान की गई सुविधाएं	
6.	सामान्य सदस्यों का प्रवेश	
7.	मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश-	
8.	नियमों द्वारा प्रदत्त वे शर्तें जिसके तहत सदस्य लाभ के हकदार हैं :-	
9.	श्रमिक संघ के सदस्यों और अन्य से सदस्यता का भुगतान	
10.	श्रमिक संघ के सदस्यों की वार्षिक आम सभा, इस तरह की बैठक की कार्यावली जिसमें श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव शामिल है-	
11.	जिस तरीके से प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार कार्यकारिणी के सदस्य और श्रमिक संघ के अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों को भरा व हटा दिया जाएगा।	
12.	वह शर्त जिसके तहत जुर्माना या जब्ती लगाई जा सकती है या परिवर्तन हो सकती है-	
13.	जिस तरह से नियमों में संशोधन परिवर्तन या रद्द किया जाएगा-	
14.	श्रमिक संघ के कार्यकारी व अन्य पदधारकों को आकस्मिक रिक्तियाँ तथा हटाए जाने की स्थिति में नियुक्ति करने की प्रक्रिया होगा-	
15.	निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा	
16.	खातों का वार्षिक अंकेक्षण	
17.	अधिकारियों और सदस्य द्वारा खाता बही के निरीक्षण की सुविधाएँ	
18.	वह तरीके जिसके तहत संघ को भंग किया जा सकता है।	

अनुसूची - III

(यदि संघ पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से एक वर्ष से कम समय पहले अस्तित्व में आया, तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है)

देनदारियों और संपत्ति का विवरण ----

दिनांक-.....20.....

देयताएँ	रु पै	संपत्ति	रु पै
सामान्य निधि की राशि राजनीतिक निधि की राशि..... .. ऋण से – ----- ----- ऋण के कारण- ----- ----- अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) ----- ----- कुल देनदारियाँ		नकद – कोषाध्यक्ष के हाथों में – सचिव के हाथों में हाथ में बैंक में नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति बैंक में----- बकाया सदस्यता राशि ऋण दिया--..... अचल संपत्ति ----- सामान और फर्नीचर अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) कुल संपत्ति	

प्रतिभूति की सूची

ब्यौरे	अंकित मूल्य	लागत कीमत	तिथि को बाजार मूल्य या जब खाता का अंकेक्षण किया गया	हाथों में

[देखें २० (१)]

राज्य श्रमिक संघ के मान्यता के लिए आवेदन

दिनांक: 20.....

सेवा,

श्रम आयुक्त, झारखंड

- हम इस नाम के तहत राज्य श्रमिक संघ की मान्यता के लिए आवेदन करते हैं: -
- राज्य श्रमिक संघ के प्रधान कार्यालय का पता है: -
- राज्य श्रमिक संघ दिनांक _____ को अस्तित्व में आया
- वह उद्योग या पेशा जिसमें राज्य श्रमिक संघ के कर्मचारियों / श्रमिकों लगे हुए हैं: -
- श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के विवरण अनुसूची - I में दिए गए हैं।
- औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 7 के अनुसार विस्तृत विवरण अनुसूची II में उल्लेखित मामलों के लिए किए गए प्रावधान दर्शाया गया है।
- औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 8 (2) के आलोक में अपेक्षित विवरणियाँ अनुसूची III में हैं। (संघ जो आवेदन किए जाने के एक वर्ष के भीतर अस्तित्व में आया हो, उनके द्वारा नहीं भरा जाएगा।)
- हम इस आवेदन को * संकल्प संख्या _____ दिनांक को बैठक में स्वीकृत किया गया है, के लिए विधिवत् अधिकृत किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)

क्रमांक	नाम	जिला	हस्ताक्षर	पेशा	पता

* राज्य श्रमिक संघ के लिए कम से कम प्रत्येक प्रतिनिधित्व वाले जिले से कम से कम एक आवेदक को हस्ताक्षर करना चाहिए।

अनुसूची - I
अधिकारियों की सूची

शीर्षक	नाम	पदनाम	आयु	पता	पेशा

अनुसूची - II

नियमों का संदर्भ

कॉलम I में विस्तृत कई मामलों के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की संख्या नीचे कॉलम 2 में दिया गया है

क्रमांक	मामला	नियमावली की संख्या
1.	श्रमिक संघ का नाम	
2.	वह संपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए संघ की स्थापना की गई है ।	
3.	जिस उद्देश्य के लिए संघ के सामान्य निधि लागू होगा।	
4.	सदस्यों की सूची का रखरखाव	
5.	सदस्यों की सूची के निरीक्षण के लिए अधिकारी और सदस्य को प्रदान की गई सुविधाएं ।	
6.	सामान्य सदस्यों का प्रवेश	
7.	मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश-	
8.	नियमों द्वारा प्रदत्त वे शर्तें जिसके तहत सदस्य लाभ के हकदार हैं :-	
9.	श्रमिक संघ के सदस्यों और अन्य से सदस्यता का भुगतान	
10.	श्रमिक संघ के सदस्यों की वार्षिक आम सभा, इस तरह की बैठक की कार्यवाली जिसमें श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव शामिल है-	
11.	जिस तरीके से प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार कार्यकारिणी के सदस्य और श्रमिक संघ के अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों को भरा व हटा दिया जाएगा।	
12.	वह शर्त जिसके तहत जुर्माना या जब्ती लगाई जा सकती है या परिवर्तन हो सकती है-	
13.	जिस तरह से नियमों में संशोधन परिवर्तन या रद्द किया जाएगा-	
14.	श्रमिक संघ के कार्यकारी व अन्य पदधारकों को आकस्मिक रिक्तियाँ तथा हटाए जाने की स्थिति में नियुक्ति करने की प्रक्रिया होगा-	
15.	निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा	
16.	खातों का वार्षिक अंकेक्षण	
17.	अधिकारियों और सदस्य द्वारा खाता बही के निरीक्षण की सुविधाएँ	
18.	वह तरीके जिसके तहत संघ को भंग किया जा सकता है।	

अनुसूची - III

(यदि संघ पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से एक वर्ष से कम समय पहले अस्तित्व में आया, तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है)

देनदारियों और संपत्ति का विवरण ----

दिनांक-.....20.....

देयताएँ	रु पै	संपत्ति	रु पै
सामान्य निधि की राशि राजनीतिक निधि की राशि..... ऋण से - ----- ऋण के कारण- ----- अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) ----- कुल देनदारियों		नकद - कोषाध्यक्ष के हाथों में - सचिव के हाथों में हाथ में बैंक में नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति बैंक में----- बकाया सदस्यता राशि ऋण दिया--..... अचल संपत्ति ----- सामान और फर्नीचर अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) कुल संपत्ति	

प्रतिभूति की सूची

ब्यौरे	अंकित मूल्य	लागत कीमत	तिथि को बाजार मूल्य या जब खाता का अंकेक्षण किया गया	हाथों में

फार्म - एएए

[देखें २० (२)]

श्रमिक संघों के राज्य फेडरेशन की मान्यता के लिए आवेदन

दिनांक:20.....

सेवा,

श्रम आयुक्त, झारखंड

1. इसके द्वारा हम..... एक श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
2. राज्य श्रमिक संघ का फेडरेशन का प्रधान कार्यालय का पता है: -
3. राज्य श्रमिक संघ के फेडरेशन दिनांक _____ को अस्तित्व में आया-
4. राज्य फेडरेशन राज्य श्रमिक संघों का एक संघ है: -
5. संघ के पदाधिकारियों के विवरण अनुसूची - I में दिए गए हैं।

6. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 7 के अनुसार विस्तृत विवरण अनुसूची II में उल्लेखित मामलों के लिए किए गए प्रावधान दर्शाया गया है।

7. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 8 (2) के आलोक में अपेक्षित विवरणियाँ अनुसूची III में हैं। (संघ जो आवेदन किए जाने के एक वर्ष के भीतर अस्तित्व में आया हो, उनके द्वारा नहीं भरा जाएगा।)

8. हम इस आवेदन को * संकल्प संख्या _____ दिनांक को बैठक में स्वीकृत किया गया है, के लिए विधिवत् अधिकृत किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)

क्रमांक	नाम	जिला	हस्ताक्षर	पेशा	पता

* राज्य श्रमिक संघ फेडरेशन के कम से कम प्रत्येक प्रतिनिधित्व वाले जिले से कम से कम एक आवेदक को हस्ताक्षर करना चाहिए।

अनुसूची I

अधिकारियों की सूची

शीर्षक	नाम	पदनाम	आयु	पता	पेशा

अनुसूची - II

नियमों का संदर्भ

कॉलम I में विस्तृत कई मामलों के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की संख्या नीचे कॉलम 2 में दिया गया है

क्रमांक	मामला	नियमावली की संख्या
1	श्रमिक संघ के राज्य महासंघ का नाम.....	
2.	वह संपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए महासंघ की स्थापना की गई है।	
3.	II उद्देश्य के लिए महासंघ की सामान्य निधि लागू होगा।	
4.	सदस्यों की सूची का रखरखाव (पंजीकृत श्रमिक संघ)	
5.	सदस्यों की सूची के निरीक्षण के लिए अधिकारी और सदस्य को प्रदान की गई सुविधाएं.....।	
6.	नियमों द्वारा प्रदत्त वे भत्ते जिसके तहत सदस्य लाभ के हकदार हैं :-	
7.	श्रमिक संघ के सदस्यों और अन्य से सदस्यता शुल्क का भुगतान	

8.	श्रमिक संघ फेडरेशन के सदस्यों की वार्षिक आम सभा, इस तरह की बैठक की कार्यावली जिसमें श्रमिक संघ फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव शामिल है-	
9.	जिस तरीके से प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार कार्यकारिणी के सदस्य और फेडरेशन के अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों को भरा व हटा दिया जाएगा।	
10.	वह शर्त जिसके तहत जुर्माना या जब्ती लगाई जा सकती है या परिवर्तन हो सकती है	
11.	नियमावली को संशोधन परिवर्तन या रद्द किया जा सकेगा -	
12.	निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा	
13.	खातों का वार्षिक अंकेक्षण	
14.	अधिकारियों और सदस्य द्वारा खाता बही के निरीक्षण की सुविधाएँ	
15.	वह तरीके जिसके तहत महासंघ को भंग किया जा सकता है।	

अनुसूची - III

(राज्य श्रमिक संघ फेडरेशन को पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र की तारीख से पहले एक वर्ष से कम अस्तित्व में आने पर इसे भरने की आवश्यकता नहीं है)

देनदारियों और संपत्ति का विवरण ----

देयताएँ	रु	पै	संपत्ति	रु	पै
सामान्य निधि की राशि			नकद -		
राजनीतिक निधि की राशि.....			कोषाध्यक्ष के हाथों में -		
ऋण से -			सचिव के हाथों में		
-----			हाथ में		
-----			बैंक में		
ऋण के कारण-			नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति		
-----			बकाया सदस्यता शुल्क -----		
-----			ऋण दिया--.....		
अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)			अचल संपत्ति -----		
-----			सामान और फर्नीचर		
-----			अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है)		
कुल देनदारियों			कुल संपत्ति		

प्रतिभूति की सूची

ब्यौरे	अंकित मूल्य	लागत कीमत	तिथि को बाजार मूल्य या जब खाता का अंकेक्षण किया गया	हाथों में

फार्म - बी
(नियम -8 देखें)
श्रमिक संघ का रजिस्टर

1. क्रमांक
2. पंजीकरण की तिथि-
3. (a) आवेदन कर्ता सदस्यों के नाम-
(b) आवेदन कर्ता सदस्यों का पेशा-
(c) आवेदन करने वाले सदस्यों के पते-
4. श्रमिक संघ का नाम-
5. श्रमिक संघ के प्रधान कार्यालय का पता-
- 5 (i) ईमेल-आईडी: -
6. श्रमिक संघ की स्थापना की तारीख-
7. श्रमिक संघ के अधिकारी -

शीर्षक	नाम	आयु	आधार सं	पता	पेशा	मोबाइल न

8. निबंधक के हस्ताक्षर-
9. (क) क्या धारा 15 (2) के तहत अलग निधि का प्रावधान किया गया है यदि हां, तो किस तारीख से-
(ख) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
10. (क) नियमों के परिवर्तन के लिए सूचना की तारीख-
(ख) नियमों के परिवर्तन के पंजीकरण और इसके श्रमिक संघ को सूचना की तिथि -
(ग) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
11. (क) पंजीकृत कार्यालय के पते के परिवर्तन के पंजीकरण की तारीख-
(ख) परिवर्तित रूप में श्रमिक संघ का पता-
(ग) यदि परिवर्तित पता किसी अन्य राज्य में है या नहीं, क्या दूसरे प्रांत या राज्य के निबंधक को भेजा गया -
(घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
12. (क) नाम परिवर्तन के पंजीकरण की तारीख-
(b) परिवर्तित रूप में श्रमिक संघ का नाम-
(ख) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
13. (क) समामेलन के पंजीकरण की तारीख -

- (ख) समामेलित संघ का नाम-
- (ग) समामेलित संघ की पंजीकरण संख्या-
- (घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
14. (क) धारा 9 (5) के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन की तारीख-
- (ख) धारा ९ (५) या ९ (६) के तहत रद्द करने या वापस लेने की सूचना देने की तारीख-
- (ग) पंजीकरण वापस लेने या रद्द करने के आदेश जारी करने की तारीख-
- (घ) रद्द करने या वापस लेने का कारण-
- (ङ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
15. (क) (1) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम-
- (२) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय करना-
- (३) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों के पते-
- (ख) विघटन के पंजीकरण की तारीख और उस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना-
- (ग) पंजीयक की कार्यवाही की संख्या और तारीख जो धारा 25 के तहत फंड (2) को वितरण करने का आदेश दिया गया है-
- (घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-

फार्म सी

(नियम -9 देखें)

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

श्रमिक संघ के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

नं.....

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक..... को औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० की धारा 9 (2) के तहत को पंजीकृत किया गया ।

तारीख:

सील

निबंधक,

स्थान:

श्रमिक संघ,

झारखण्ड राज्य।

फार्म डी

[नियम -१२ देखें (२)]

झारखंड राज्य के लिए श्रमिक संघों का कार्यालय

स्थान -

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

संबंधित संहिता की धारा 9 के उपधारा (5) के तहत रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र को वापस लेने या रद्द करने से पहले सूचना ----- श्रमिक संघों

निबंधन संख्या

उपरोक्त उल्लेखित श्रमिक संघ को सूचित किया जाता है की दिनांक20 को निबंधक निबंधन संबंधी , इस बीच विपरीत कारण नहीं प्रमाण पत्र को वापस (या रद्द) करने की कारवाई करने का आशय रखता है, जब तक दिखाया जाता है।

ऐसे प्रस्तावित वापस (या रद्द) करने का आधार धोखेबाजी (या गलती) कर निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है, या श्रमिक संघ अस्तित्व में नहीं रहा है या जानबूझकर एवं मेरे द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद ऊपर उल्लेखित के प्रावधानों को उल्लंघन किया गया है, य संहिता इसके नियम लगातार जारी है।)1संहिता के प्रावधानों के () प्रतिकूल है या 2 धारा 7 के अनुसार अनिवार्य प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। (तथ्य व्यवहारिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए)

(हस्ताक्षर)

दिनांक -:

निबंधक

* यहां दर्ज की गई तारीख नोटिस की तारीख से दो महीने से कम होगी।

सेवा में,

.....श्रमिक संघ के सचिव ,

फॉर्म - ई

(नियम ई देखें -23)

श्रमिक संघों के वार्षिक विवरणी के लिए फॉर्म।

भाग - ए

.....दिसंबर 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 (1) के तहत निर्धारित वार्षिक विवरणी

- * 1. संघ का नाम-
- * 2. संघ का पता-
- * 3. पंजीकृत प्रधान कार्यालय-
- * 4. पंजीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख-
- * 5. संलग्न उद्योगों की अनुसूची के अनुसार उद्योग का वर्गीकरण दिखाया जाना चाहिए।
दिनांक
- * 6. उद्योग का वर्गीकरण (संघ की निम्न चार श्रेणियों में से जो दिखाया जाए संबंधित है:-
(क) सार्वजनिक क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्र;
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र - राज्य क्षेत्र;
(ग) निजी क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्र; तथा
(घ) निजी क्षेत्र - राज्य क्षेत्र।
- * 7. अखिल भारतीय निकाय का नाम / संघ जिससे संबद्ध है-
- * 8. संबद्धता संख्या-
- * 9. वर्ष के दौरान भुगतान की गई संबद्धता शुल्क-
- * 10. संबद्धता शुल्क के भुगतान की संख्या और प्राप्ति की तिथि (प्रमाण संलग्न करें): -

- *11. प्रति माह सदस्यता शुल्क-
12. वर्ष की शुरुआत में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या-
13. वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सदस्यों की संख्या-
14. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या-
15. वर्ष की समाप्ति पर पुस्तक पर सदस्यों की संख्या
(यानी 31st दिसंबर, 2021)
- पुरुष।
- महिला
- कुल
16. राजनीतिनक निधि में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या ।
- * 17. वैसे सदस्यों की संख्या जिन्होंने उनकी पूरे वर्ष के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान किया
18. श्रमिक संघ के नियमों की एक सही प्रति इस विवरणी के प्रेषण की तिथि को संलग्न किया जाता है।
19. विवरणी का भाग बी विधिवत पूर्ण किया गया है।

सचिव

* यदि संघ एक से अधिक श्रेणी में आता है, तो प्रत्येक कैटरगरी में दावा किया गया सदस्यता अलग से दिखाया जा सकता है।

भाग - बी

देयताएं और संपत्ति का विवरण 31st मार्च ----- 20।

देयताएँ	रू पै	संपत्ति	रू पै
सामान्य निधि की राशि राजनीतिक निधि की राशि..... ऋण से – ऋण के कारण- अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) कुल देनदारियों अन्य देयताएं (होने के लिए) निर्दिष्ट)		नकद – कोषाध्यक्ष के हाथों में – सचिव के हाथों में हाथ में बैंक में नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति बकाया सदस्यता के कारण कर्ज दिया (क) वर्तमान वर्ष- (ख) पिछले वर्ष- ऋण जिनको दिया बैंक में (क) अधिकारी (ख) सदस्य (ग) अन्य अचल संपत्ति सामान और फर्नीचर अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) कुल संपत्ति	
कुल देनदारियों		कुल संपत्ति	

प्रतिभूति की सूची

ब्यौरे	अंकित मूल्य	लागत कीमत	उस तारीख को जिस तारीख पर खाता तैयार किया	हाथों में
1	2	3	4	5

Rs.

Rs.

Rs.

सामान्य निधि खाता

आय	रु	पै	व्यय	रु	पै
साल की शुरुआत में अव्यय राशि सदस्यों से सदस्यता शुल्क वर्ष का बकाया सदस्यता शुल्क (ए) प्राप्त सदस्यता शुल्क (बी) तीन महीने या उससे कम के लिए सदस्यता शुल्क (ग) तीन महीने से अधिक समय का बकाया सदस्यता शुल्क			अधिकारियों का वेतन और भत्ते। यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ते और स्थापना के व्यय। लेखा परीक्षकों की फीस- कानूनी व्यय- व्यापार विवाद के संचालन में व्यय। श्रम विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को मुआवजा दिया गया। अंतिम संस्कार बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी प्रसुविधा- शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रसुविधा- आवधिक प्रकाशन की लागत- किराए, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक- अन्य खर्च (निर्दिष्ट करें)- वर्ष के अंत में अवशेष-		
कुल			कुल		

राजनीतिक एवं निधि खाता

कुल	रु	पै	कुल	रु	पै
साल के शुरुआत में अवशेष ----- ----- सदस्यों से योगदान --- ----- प्रति सदस्य			धारा १५ (२) के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं पर किया गया भुगतान- प्रबंधन में किए गए व्यय पूरी तरह से निर्दिष्ट करें। वर्ष के अंत में अवशेष ।		
कुल			कुल		

कोषाध्यक्ष

लेखा परीक्षक की घोषणा।

अधोहस्ताक्षरी श्रमिक संघ के सभी पुस्तकें और खातों का जहाँ तक पहुँच हो सकता था और पूर्वगामी कथन तथा सभी का खाता अभिश्रव के साथ सत्यापित किया जो सही पाया गया उस ,अभिश्रव पर हस्ताक्षरित किया एवं साथ ही प्रमाणित किया जाता है कि श्रमिक संघ उचित तरीके से अपना सदस्यता पंजी तथा खाता संधारित किया है और सदस्यों द्वारा अपना सदस्यता शुल्क संघ को जो की पूर्वगामी कथन है सामान्य निधि खाता में यदि कोई टिप्पणी हो तो, साथ में जमा किया गया है। ,

लेखा परीक्षक

वर्ष के दौरान अधिकारियों के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: -

अधिकारियों ने कार्यालय का त्याग किया

नाम	कार्यालय	कार्यालय त्यागने की तिथि।

अधिकारियों को नियुक्त किया

नाम	जन्म का तारीख	निजी पता	निजी व्यवसाय	संघ में पद	नियुक्ति की तारीख जो कॉलम 5 में वर्णित है।	सदस्यता के कार्यकारी तिथि के अतिरिक्त अन्य कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7

चुनाव

पदाधिकारियों के अंतिम चुनाव की तिथि

सचिव

कार्यालय के अगले चुनाव की तारीख

(श्रमिक संघ की फेडरेशन के लिए फार्म)**भाग- 'ए'**

.....दिसंबर 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध कोड 2020 की धारा 26 (1) के तहत निर्धारित वार्षिक विवरणी

फेडरेशन का नाम

फेडरेशन का पता

पंजीकृत प्रधान कार्यालय.....

पंजीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख

* 5. उद्योग का वर्गीकरण (संलग्न उद्योगों की अनुसूची के अनुसार प्रदर्शनीय)-

* 6. सेक्टर का वर्गीकरण (कृपया बताएं कि निम्नलिखित चार श्रेणियों में से किस श्रेणी में है फेडरेशन है: -

(क) सार्वजनिक क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्र;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र - राज्य क्षेत्र;

(ग) निजी क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्र; तथा

(घ) निजी क्षेत्र - राज्य क्षेत्र-

- * 7 अखिल भारतीय निकाय का नाम / किससे सम्बद्ध है-
- * 8 संबद्धता संख्या-
- * 9. वर्ष के दौरान अखिल भारतीय निकाय को किया गया संबद्धता शुल्क भुगतान की राशि-
- * 10. अखिल भारतीय निकाय से संबद्धता शुल्क के भुगतान की तारीख-
- * 11. वर्ष के दौरान फेडरेशन द्वारा संबद्ध संघ से सदस्यता शुल्क लिया गया राशि-
- * 12. वर्ष की शुरुआत और उनकी सदस्यता से संबद्ध यूनियनों की संख्या-
- * 13. वर्ष के दौरान शामिल होने वाले यूनियनों की संख्या और उनकी सदस्यता
- * 14. वर्ष के दौरान असंतुष्ट संघों की संख्या और उनकी सदस्यता-
- * 15. वर्ष के अंत में संबद्ध यूनियनों की संख्या और उनकी सदस्यता-
- * 16. राजनीतिक निधि में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या-
- * 17. यूनियनों की संख्या जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए अपने संबद्धता शुल्क का भुगतान किया।
- * 18. फेडरेशन के नियमों की एक प्रति इस विवरणी के प्रेषण की तारीख का संलग्न किया गया।
- * 19. विवरणी का भाग बी विधिवत सही पूर्ण किया गया है-

सचिव

तारीख।

* यदि फेडरेशन एक से अधिक श्रेणी में आता है तो प्रत्येक श्रेणी में सदस्यता अलग से दिखाया गया है।
यूनियनों के नाम 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' के रूप में चिह्नित अलग-अलग विवरण में दिए जाने चाहिए।

भाग- 'बी'

31 वें दिन मार्च को देयताओं और परिसंपत्तियों का विवरण ----- 20

देयताएँ	रु पै	संपत्ति	रु पै
सामान्य निधि की राशि		अधिकारियों का वेतन और भत्ते।	
राजनीतिक निधि की राशि.....		यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ते और स्थापना के व्यय।	
ऋण से -		लेखा परीक्षकों की फीस-	
-----		कानूनी व्यय-	
-----		व्यापार विवाद के संचालन में व्यय।	
ऋण के कारण-		श्रम विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के	
-----		लिए सदस्यों को मुआवजा दिया गया।	
-----		अंतिम संस्कार, बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी	
अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)		प्रसुविधा-	
-----		शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रसुविधा-	
-----		आवधिक प्रकाशन की लागत-	
कुल देनदारियों		किराए, दरें और कर, स्टेशनरी,	
		मुद्रण और डाक-	
		अन्य खर्च (निर्दिष्ट करें)-	

		वर्ष के अंत में अवशेष-	
कुल देनदारियों		कुल संपत्ति	

प्रतिभूति की सूची

ब्यौरे	अंकित मूल्य	लागत कीमत	उस तारीख को जिस तारीख पर खाता तैयार किया	हार्थों में
1	2	3	4	5

सामान्य निधि खाता

आय	रु	पै	व्यय	रु	पै
साल की शुरुआत में अव्यय राशि सदस्यों से सदस्यता शुल्क वर्ष का बकाया सदस्यता शुल्क (ए) प्राप्त सदस्यता शुल्क (बी) तीन महीने या उससे कम के लिए सदस्यता शुल्क (ग) तीन महीने से अधिक समय का बकाया सदस्यता शुल्क			अधिकारियों का वेतन और भत्ते। यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ते और स्थापना के व्यय। लेखा परीक्षकों की फीस कानूनी विस्तार व्यापार विवाद के संचालन में व्यय। व्यापार विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को मुआवजा दिया गया। अंतिम संस्कार बुढ़ापे, बीमारी, संयुक्त राष्ट्र रोजगार लाभ, आदि शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ। आवधिक प्रकाशन की लागत। किराए, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक। अन्य खर्च (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) वर्ष के अंत में संतुलन।		
कुल			कुल		

राजनीतिक एवं निधि खाता

कुल	रु	पै	कुल	रु	पै
साल के शुरुआत में अवशेष ----- ----- सदस्यों से योगदान --- ----- प्रति सदस्य			धारा १५ (२) के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं पर किया गया भुगतान- प्रबंधन में किए गए व्यय पूरी तरह से निर्दिष्ट करें। वर्ष के अंत में अवशेष ।		
कुल			कुल		

कोषाध्यक्

लेखा परीक्षकों की घोषणा।

अधोहस्ताक्षरी श्रमिक संघ के सभी पुस्तकें और खातों का जहाँ तक पहुँच हो सकता था और पूर्वगामी कथन तथा सभी का खाता अभिश्रव के साथ सत्यापित किया जो सही पाया गया उसे, अभिश्रव पर हस्ताक्षरित किया एवं साथ ही प्रमाणित किया जाता है की श्रमिक संघ उचित तरीके से अपना सदस्यता पंजी तथा संधारित किया है और सदस्यों द्वारा अपना सदस्यता शुल्क संघ को जो की पूर्वगामी कथन है जमा किया गया है। सामान्य निधि खाता में यदि कोई टिप्पणी हो तो, साथ में ,

लेखा परीक्षक

वर्ष के दौरान अधिकारियों के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: -

अधिकारियों ने कार्यालय का त्याग किया

नाम	कार्यालय	कार्यालय त्यागने की तिथि।

अधिकारियों को नियुक्त किया

नाम	जन्म का तारीख	निजी पता	निजी व्यवसाय	संघ में पद	नियुक्ति की तारीख जो कॉलम 5 में वर्णित।	सदस्यता के कार्यकारी तिथि के अतिरिक्त अन्य कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7

चुनाव

पदाधिकारियों के अंतिम चुनाव की तिथि

सचिव

कार्यालय के अगले चुनाव की तारीख

उद्योगों की सूची

प्रभाग 0. कृषि, वानिकी, मत्स्य इत्यादि।

010. कृषि और पशुधन उत्पादन-

(क) मिट्टी की खेती और जुताई, डेयरी फार्म

कृषि या बागवानी का उत्पादन

जिंस, गन्ना, लाइव का उठाव-

स्टॉक, मधुमक्खियों या पोल्ट्री फार्म, सेरीकल्चर,

ऊन का कतरना, आदि।

(ख) वृक्षारोपण-

1. चाय
2. कॉफी।
3. रबर।
4. सिनकोना सहित अन्य,
ए। इलायची, काजू और काली मिर्च।
- (ग) जीन्स और प्रेस-
 1. कॉटन जिनिंग और बॉलिंग
 2. जूट प्रेस।
 3. ऊन का बेलना और दबाना
 4. अन्य।
021. वानिकी।
022. लॉगिंग
030. शिकार, फँसाना और खेल का प्रचार।
040. मछली पकड़ना
- डिवीजन ए। खनन और उत्खनन-
 110. कोयला खनन
 121. लौह अयस्क खनन
 122. अन्य धातु खनन-
- (क) मैंगनीज (ख) सोना
- (ग) अन्य
 130. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
 140. पत्थर की खदान, मिट्टी और रेत के गड्ढे।
 190. गैर-धातु खनन और उत्खनन नहीं
- अन्यत्र वर्गीकृत-
 - (क) मीका खनन (ख) अन्य खनन
 - (ग) कोयला खदान। (घ) अन्य खदानें।
- डिवीजन 2-3 मैनुफैक्चरिंग-
 20. भोजन (पेय पदार्थ को छोड़कर)।
 201. मांस का वध, तैयारी और संरक्षण।
 202. डेयरी उत्पादों का विनिर्माण।
- (क) घी और घी उत्पादों।
- (ख) अन्य
 203. फलों की डिब्बाबंदी और संरक्षण।
 204. कैनिंग और संरक्षण फिशंड अन्डेसिया फूड।
 205. अनाज मिल उत्पाद-
- (क) आटा मिलों। (ख) राइस मिल्स
- (ग) दाल मिलें।
206. बेकरी उत्पाद।
207. चीनी कारखानों और रिफाइनरीज़-
- (क) चीनी (ख) गुर
208. कोको, चॉकलेट और सुगर, कन्फेक्शनरी का निर्माण
209. विविध खाद्य तैयारी-
- (क) खाद्य तेल (हाइड्रोजेनेटेड तेलों के अलावा)।

(ख) हाइड्रोजनीकृत तेल उद्योग।

(ग) मूंगफली का विघटन

(घ) अन्य

21. पेय।

211. और 213. डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज (शराब बनाने वाली कंपनी सहित)।

212. शराब उद्योग।

213. शीतल पेय और कार्बोनेटेड जल उद्योग।

22. तंबाकू।

220. तम्बाकू निर्माण-

(क) बीड़ी उद्योग। (ख) सिगार

(ग) सिगरेट (घ) सूँघना

(इ) जरदा। (च) अन्य।

23 कपड़ा।

231. वस्त्रों की बुनाई और परिष्करण

(क) कपास मिलों। (ख) जूट मिल्स।

(ग) सिल्क मिल्स-

(i) कृत्रिम रेशम और सूत।

(ii) अन्य।

(घ) वूलेन मिल्स।

239. कपड़ा का निर्माण कहीं और नहीं वर्गीकृत-

232-233 अन्य।

24. जूते, अन्य परिधान और मेड-अप वस्त्र का सामान।

241. जूते (रबड़ के जूते को छोड़कर)।

242-244। अन्य

25. लकड़ी और कॉर्क (फर्नीचर को छोड़कर):

250. (क) साँ मिल्स। (ख) पल्पवुड।

(ग) अन्य

26. फर्नीचर और फिक्स्चर।

27. कागज और कागज उत्पाद।

271. (क) पल्प। (ख) पेपर।

(ग) पेपर, कार्ड और स्ट्रॉ बोर्ड। (घ) अन्य उत्पाद।

272. पल्प के लेखों का निर्माण। पेपर और पेपर बोर्ड।

28. मुद्रण प्रकाशन और संबद्ध उद्योग।

29. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (जूते को छोड़कर)।

291. टेनरियों और चमड़ा परिष्करण।

222. चमड़े के उत्पादों का निर्माण (जूते और अन्य परिधानों को छोड़कर)।

30. (क) जूते। (ख) टायर।

(ग) अन्य

31. रासायनिक और रासायनिक उत्पाद।

311. मूल औद्योगिक रसायन-

(क) भारी रसायन-

(i) अम्ल (ii) क्षार।

(iii) नमक (iv) अन्य।

(ख) उर्वरक

(i) अस्थि कारखानों। (ii) अन्य।

(ग) गोला बारूद

(घ) प्लास्टिक सामग्री

(ङ) अन्य

312. वनस्पति और पशु तेल और वसा-

(क) वनस्पति तेल और वसा (खाद्य को छोड़कर)

(ख) पशु तेल और वसा (खाद्य को छोड़कर)

319. विविध-

(क) चिकित्सा और दवा उत्पाद

(ख) साबुन

(ग) पेंट्स, वार्निश और लैक्क्वर्स आदि।

(घ) मेल खाता है

(ङ) लाख (शैलैक सहित)।

(च) रंजक।

(छ) अन्य।

32. पेट्रोलियम और कोयला के उत्पाद।

321. पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ-

(क) पेट्रोलियम। (ख) केरोसीन

322. कोक ओवन।

329 अन्य उत्पाद।

33. गैर-धात्विक खनिज उत्पाद, पेट्रोलियम और कोयला को छोड़कर।

331. संरचनात्मक ब्ले उत्पाद-

(क) ईट भट्टे (ख) टाइलें।

(ग) अन्य।

332. ग्लास और ग्लास उत्पाद (ऑप्टिकल लेंस को छोड़कर)।

333. मिट्टी के बर्तन, चीन और मिट्टी के बर्तन

334. सीमेंट।

339. गैर-धात्विक खनिज उत्पाद नहीं है।

(क) मीका इंडस्ट्रीज। (ख) एस्बेस्टोस, ह्यूम पाइप्स, ब्लॉक, पूर्वनिर्मित उत्पाद।

(ग) अन्य

34. मूल धातु उद्योग।

341. लौह (लौह और इस्पात) -

(क) धातु निकालने और शोधन

(ख) धातु रूपांतरण, मेटल रोलिंगिंग और वायर ड्राइंग।

(ग) मेटल फाउंडिंग।

342. अलौह-

(क) धातु निकालने और शोधन।

(ख) धातु रूपांतरण, धातु रोलिंग, ट्यूब एंड वायर ड्राइंग।

(ग) मेटल फाउंडिंग। (घ) अन्य

35. धातु उत्पादों का निर्माण (छोड़कर)

मशीनरी और परिवहन उपकरण)।

350. धातु उत्पाद -

(क) धातु कंटेनर और स्टील , Cu-

tlery, Lock etsl, बोल्ट, नट, नाखून, स्प्रिंट, चेन आदि।

धातु गैल्वनाइजिंग। टिनिंग, चढ़ाना, Lacquering, प्रकार संस्थापक, वेल्डिंग, Safes और वाल्ट्स।

(ख) गन और स्टील फैक्ट्रियां।

(ग) अन्य

36. मशीनरी का निर्माण (विद्युत को छोड़कर) मशीनरी)।

360. (क) हाइड्रोलिक, वेंटिलेटिंग, और वायवीय मशीनरी, प्राइम मूवर्स और बॉयलर और कृषि औजार।

(ख) मशीन टूल्स और एक्सेसरीज़।

(ग) दहन इंजन और विद्युत चालित पंप्स।

(घ) ईएम ई कार्यशालाएं।

(ङ) मरम्मत और सेवा कार्यशालाएं।

37. विद्युत मशीनरी, उपकरण, उपकरण और आपूर्ति।

370. (क) भारी इलेक्ट्रिक मोटर्स और मशीनरी।

(ख) जेनरेशन स्टोरेज के उपकरण संचरण, परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का वितरण।

(ग) टेलीग्राफ और टेलीफोन वर्कशॉप।

(ङ) इलेक्ट्रिक पंखे, लैंप, बैटरी, ड्राई सेल और भंडारण, रेडियो रिसीवर, तार कम उपकरण, मीटर और सशुल्क उपकरण।

(च) अन्य

38. परिवहन उपकरण।

381. शिप बिल्डिंग।

382. रेल-सड़क उपकरण का निर्माण और मरम्मत- (ए) रेलवे कार्यशालाएँ-

(i) वैगन और कोच। (ii) अन्य।

(ख) ट्राम रास्ता कार्यशालाएँ-

(i) ट्रामवे कार (ii) अन्य।

383. मोटर वाहन।

385. साइकिलें।

386. वायु शिल्प-

(i) हवाई जहाज, विमान के पुर्जे असेंबल।

(ii) अन्य

384 और 389 अन्य।

39. विविध।

399. (क) आयुध कारखानों, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं।

प्रभाग 4. निर्माण-

400. (क) निर्माण, पुनर्निर्माण, रखरखाव,
मरम्मत और इमारतों की तोड़फोड़-

(i) केन्द्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय प्राधिकरण या की सहायता से ऐसे अधिकारियों से सब्सिडी या ऋण या उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।

(ii) अन्य

(ख) राजमार्ग, सड़क, पुल, सीवर,
नालियाँ और अन्य सार्वजनिक कार्य-

(i) केन्द्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय प्राधिकरण या की सहायता से ऐसे अधिकारियों से सब्सिडी या ऋण या उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।

(ii) अन्य।

(ग) रेल-सड़कें, रेलवे रोडशेड इत्यादि।

(घ) ट्रामवे, एयरपोर्ट, डॉक्स।

(and) सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएँ।

(इ) अन्य।

डिवीजन 5. बिजली, गैस, पानी और स्वच्छता सेवाएं -

51. बिजली, गैस और भाप।

511. (क) सृजन, आपूर्ति और वितरण।

(ख) अन्य

521. जलापूर्ति

522. स्वच्छता सेवाएँ।

प्रभाग 6. वाणिज्य -

611-612 थोक और खुदरा व्यापार -

(क) दुकान के कर्मचारी। (ख) अन्य

620. बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान।

(क) बैंक (ख) व्यावसायिक चिंताएँ।

(ग) अन्य

630. बीमा -

(क) एक जिंदगी। (ख) अन्य

640. अन्य (अचल संपत्ति)।

प्रभाग 7. परिवहन और संचार (अन्य कार्य कार्यशालाएं) -

711. रेलवे -

(क) रेलवे स्टाफ, पोर्टर्स, लाइसेंस प्राप्त कॉलिज, हेमल्स।

(ख) अन्य

712. ट्रामवे और ओम्निबस ऑपरेटर -

(क) बस रूट (ख) ट्राम लाइनें।

(ग) अन्य

713. मोटर परिवहन -

(एक टैक्सी (ख) अन्य

714. सड़क परिवहन कहीं और वर्गीकृत नहीं -

(क) रिकशा पुलर्स।

(ख) गाड़ियाँ, पशु चालित वाहन।

(ग) लॉरी (घ) अन्य

715. महासागर परिवहन (सीमेन) -

(क) महासागर लाइन्स।

(ख) तटीय नौवहन।

(ग) अन्य

716. जल परिवहन (महासागर परिवहन को छोड़कर) -

(क) स्टीमर सेवाएं, स्टीमर घाट, नाव चलाने वाले।

(ख) पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह और मामूली पोर्ट।

(ग) स्टीयरिंग।

(घ) पोर्ट और डॉक्स में काम करना और अन्यत्र वर्गीकृत नहीं।

(ङ) अन्य

717. हवाई परिवहन-

(क) फ्लाईंग क्रो, accredrome कर्मचारी।

(ख) अन्य

730. संचार -

(क) पोस्ट और टेलीग्राफ।

(ख) अन्य

डिवीजन 8 सेवा।

810. शासन सेवाएँ।

820. सामुदायिक और व्यावसायिक सेवाएँ -

(क) काम कर रहे पत्रकारों। (ख) अन्य

821. शैक्षिक सेवाएं।

822. चिकित्सा और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ-

(क) स्थानीय निकायों की सेवाएं।

(ख) अस्पताल और औषधालय।

830. मनोरंजन सेवाएँ।

831. मोशन पिक्चर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्शन।

832. थिएटर और संबंधित सेवाएं।

833. अन्य मनोरंजन सेवाएँ।

840. व्यक्तिगत सेवाएँ।

841. घरेलू सेवाएँ।

843. रेस्तरां, कैफे, होटल, आदि।

844. Laundaries और Laundry Services, सफाई और रंगाई।

845. नाई और सौंदर्य की दुकानें।

846. और 849. अन्य Personal सेवाएँ।

डिवीजन 9. Activities पर्याप्त रूप से वर्णित नहीं हैं।

प्रपत्र - I
(नियम 2 देखें)

(सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य हुए समझौता/या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुए समाधान का ज्ञापन)

पक्षों का नाम:

.....नियोक्ता का प्रतिनिधि
.....कामगार का प्रतिनिधि

मामले के संक्षिप्त विवरण
समझौते की शर्तें
पक्षों के हस्ताक्षर

साक्षी:

- (1)
- (2)

सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य निपटान हो जाता है अन्यथा समझौते के दौरान होने वाली की कार्यवाही के मामले में ज्ञापन की प्रति संबंधित श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजा जाएगा।

प्रपत्र - II
(नियम 40 देखें)

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम.....
पता.....
दिनांक.....20.....दिन.....

औद्योगिक संबंध की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरा अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में से अनुबंध में परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

हस्ताक्षर.....
पद.....

अनुबंध

(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन)

प्रति अग्रेषित:

1. पंजीकृत श्रमिक संघ के सचिव, यदि कोई हो
2. संबंधित श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजा जाएगा।

प्रपत्र - III

(नियम 41 देखें)

(स्वैच्छिक मध्यस्थ के लिए समझौता)

.....नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम और

.....कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम

के बीच

निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए.....यहां मध्यस्थ के नाम और पते का उल्लेख करें, को भेजने पर सहमति हुई है।

- (i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले
- (ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण
- (iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम
- (iv) प्रभावित उपकर में नियोजित कामगारों के कुल संख्या
- (v) विवाद से प्रभावित कामगार या सम्भव होने वाले प्रभावित की अनुमानित संख्या

हम सहमत हैं कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्यकर हैं यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे।

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पार्टी द्वारा समझौते की अवधि उल्लिखित करें).....की अवधि के भीतर या लिखित रूप में हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाए गए समय के भीतर मध्यस्थ अपना निर्णय लेना होगा यदि, उपयुक्त अवधि के भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और इस नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे।

कामगारों के प्रतिनिधित्व/कामगार/नियोक्ता के प्रतिनिधित्व पार्टी के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

प्रति: (i) सुलह अधिकारी श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजा जाएगा।

(ii) सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

प्रपत्र - IV

(नियम 43, नियम 62 और नियम 63 देखें)

(इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)

प्राधिकार के समक्ष

(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें।)

इस संबंध में:

(कार्रवाई का नाम उल्लिखित करें)

..... कामगार

बनाम

.....नियोक्ता

मैं मतीहम श्री/श्री/1.2.3.

.....(यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व हैं तो उपयुक्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के (हूँ/करते हैं। लिए अधिकृत करता

दिनांक.....दिन.....20.....

मनोनीत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

मान्य पता:

प्रपत्र - V

(नियम 44(21) और 45(21) देखें)

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र (जो लागू हो)

मैं क.ख. राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो लागू हो) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात राय, या द्वेष के बिना न्यायिक सदस्य/राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करूंगा और कानून के अनुसार कार्य करूंगा।

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र - VI

(नियम 46(4) देखें)

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

.....(यहां संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष।

आवेदक.....

बनाम

.....विपक्षी पार्टी

पता.....

उपयुक्त आवेदन के मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूँ:

(यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को उल्लिखित करें)।

आवेदक इस मामले को न्यायिक निर्णय के लिए स्वीकार करने और उचित निर्णय जारी करने का अनुरोध करता है।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रपत्र - VII

(नियम 47 देखें)

(यूनियन (यूनियन का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा की जाने वाली हड़ताल की सूचना)

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम.....

दिनांक.....दिन.....20.....

सेवा में,

(नियोक्ता का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार मैं बताए गए कारणों के लिए मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि हम दिनांक.....20.....को हड़ताल का आह्वान करते हैं।

भवदीय,

(यूनियन का सचिव)

संलग्न संकल्प के तहत.....(दिनांक)

को आयोजित बैठक में निर्वाचित

कामगारों के पांच प्रतिनिधित्व

अनुबंध

मामले का विवरण

प्रति:

- 1) सुलह अधिकारी श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजा जाएगा।

प्रपत्र - VIII

(नियम 48 देखें)

(औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नामपता.....

दिनांक.....का दिन.....20.....

संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए.....से मेरे/हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों).....में तालाबंदी करने का विचार है।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

1. कारणों का विवरण :

प्रति अग्रेषित:

- (1) पंजीकृत यूनियन के सचिव अगर कोई हों।
- (2) सुलह अधिकारी श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजा जाएगा।

प्रपत्र - IX

(नियम 70(c) और 49, 51 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना का नोटिस)

(ऑनलाइन प्रतिष्ठान किया जाए। अत्यावश्यकता मामले में, नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में पेपर पर)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

तारीख.....

(नोट: समूचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः 60 दिन और बंदी/छंटनी के आरंभ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

सचिव,

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

झारखण्ड सरकार, राँची

1. '(छंटनी) (क) इस संहिता की धारा (ग) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने.....(दिन/माह/वर्ष) से कुल.....कामगारों' में से.....कामगारों की छंटनी करने का निर्णय लिया है।

'(बंदी) (ख) इस संहिता की धारा 74 (1) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान का उपक्रम का नाम) को.....(दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उन कामगारों की संख्या, जिनकी सेवाएं औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त हो जाएगी.....(कामगारों की संख्या) है। छंटनी/बंदी का कारण है.....

2. छंटनी/बंदी का कारण है

3. इस संहिता की धारा 70(क)' के तहत संबंधित कामगारों को(दिन/माह/वर्ष) से एक महीने का आवश्यक नोटिस लिखित में दिया गया है।

या

संबंधित कामगारों को इस संहिता की धारा 70(क)' /धारा 75(1)' के तहत आवश्यक नोटिस के एबज में.....(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया।

4. "मैं/हम" इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि समाप्ति पर या पहले इस संहिता की धारा 75' /धारा 70' के तहत उनको दिए जाने वाले बकाया प्रतिकर सहित उनके सभी देय का भुगतान कर दिया गया है/करेंगे।

या

"मैं/हम" यहां उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि 'मैं/हम' संबंधित कानूनों के तहत प्रतिकर के साथ बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

5. (छंटनी) मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगारों की छंटनी की गई है/की जाएगी।
6. मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस विषय में कोई कार्ट केस किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उनका विवरण अनुलग्नक में है।
7. मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई सूचना नहीं है, मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और इस विषय में किसी तथ्य/प्रमाण को छुपाया नहीं गया है।

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(‘जो लागू न हो उसे काट दें)

(‘‘आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(‘‘‘नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिनिधि संलग्न करें)

प्रतिलिपि:

- (1) श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं
- (2) श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजा जाएगा।
- (3) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के पंजीकृत संघ/प्राधिकृत प्रतिनिधि।

प्रपत्र - X

(नियम 52, 54, और 56 देखें)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/के जारी रहने/छंटनी/तालाबंदी का अनुमति के लिए आवेदन,

(आँन लाइन जमा किय जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखित में)

औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का

नाम.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(टिप्पणी: निम्न दर्शाए गए रूप में केंद्रीय सरकार को आवेदन देना होगा:

कामबंदी- अशमित कामबंदी से पहले कम से कम 15 दिन

कामबंदी जारी रहना - पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन

छंटनी.....छंटनी के आशमित दिनांक से पहले कम से कम 60 दिन

तालाबंदी - तालाबंदी के आशमित दिनांक से पहले कम से कम 90 दिन)

सेवा में,

सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची

1. '(कामबंदी) (क) औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अंतर्गत मैं/हम'(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कुल.....कामगारों में से.....कामगारों के कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।
या
'(कामबंदी के जारी रहने) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(3) के अंतर्गत मैं/हम'.....(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (अनुबंध-1 में विवरण दिए जाएं) में कुल.....कामगारों में से.....कामगारों के कामबंदी के जारी रहने को अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।
या
'(छंटनी) (ग) औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत मैं/हम'.....(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (अनुबंध-1 में विवरण दें) में कुल.....कामगारों में से.....कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।
या
'(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80(1) के अंतर्गत मैं/हम' यह सूचित करते हैं कि मैं/हम'.....(दिन/माह/वर्ष) से उपक्रम.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (अनुबंध-1 में विवरण दें) तालाबंदी करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा बंद हो जाएगी उनकी संख्या.....है (कामगारों की संख्या)।
2. '(तालाबंदी/तालाबंदी की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78(2)' धारा 78(3) के.....(दिन/माह/वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप से आपेक्षित है।
या
'(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79'/धारा 80 क अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई.....(दिन/माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप से भी अपेक्षित है।
या
'(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79'/धारा 80 क अंतर्गत कामगार को.....(दिन/माह/वर्ष) की नोटिस के सामने वेतन देना अपेक्षित है।
3. अनुबंध प्प में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है।
4. (छंटनी) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छांट दिए जाएंगे।
5. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78(10)'/धारा 79'/धारा 80' के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।
या
'मैं/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं/हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करेंगे।

या

6. 'मैं/हम' एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ कि/करते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

7. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/सामाग्री छिपाई नहीं गई है।

कृप्या मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

('जो लागू न हो उसे काट दें)

('आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

('नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिनिधि संलग्न करें)

परिशिष्ट - I

(कृप्या प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

1. पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहित उपक्रम का नाम
2. उपक्रम की स्थिति -
 - (i) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि
 - (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म
 - (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने/पंजीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या
3. (क) एमसीए संख्या
(ख) जीएसटीएन संख्या
4. (i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन -
(ii) पिछले 12 माह के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे
5. पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित प्रतिष्ठान/ उपक्रम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना है
6. एक ही प्रबंधन के तहत अंतः संबंधित कंपनियों या कंपनियों के नाम
7. प्रत्येक ऐसी छंटनी/सेवा समाप्ति/छंटनी की निरंतरता में शामिल ऐसी छंटनी/सेवा-समाप्ति की कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी/सेवा समाप्ति का ब्यौरा
8. किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर छंटनी/छंटनी की निरंतरता/सेवा समाप्ति/बंद होने पर है।

परिशिष्ट - II

(प्रभावित कामगारों का ब्यौरा)

क्र.सं.	यूएन/ सीएमपीएफओ	कामगार का नाम	वर्ग अतिकुशल/कुशल/ अर्ध कुशल/ अकुशल	संबंधित प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि	आवेदन की तारीख के अनुसार वेतन	टिप्पणियां
1.						
2.						

प्रपत्र - XI
(नियम 59 देखें)

इस संहिता के तहत नियोक्ता को पहली बार उल्लंघन करता है, धारा 89 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के प्रशमन के लिए नोटिस औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप-धारा 1 के तहत अधोहस्ताक्षरी और परिशमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित करता है कि इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया है:-

भाग-I

1. उल्लंघन करने वाले नियोक्ता का नाम और पता.....
2. प्रतिष्ठान का नाम.....
3. अपराध का विवरण.....
4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है.....
5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली परिशमन राशि.....

भाग-II

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार अपराध के प्रशमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग.प्प में भरे गए आवेदन इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा-के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग-III

अपराध की कंपाउंडिंग के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदन का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत नियोक्ता जिसने अपराध किया है का नाम निर्दिष्ट करना है)
2. आवेदन का पता
3. का विवरण
4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है
5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें)
.....
6. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है को दिया जा सकता है

-
7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदन ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपराध का पूरा ब्यौरा दें
8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

प्रपत्र - XII

(नियम 61 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 91 के तहत शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/न्यायधिकरण या राष्ट्रीय न्यायधिकरण के साथ,
 इस विषय में संदर्भ संख्या
 क शिकायतकर्ता
 बनाम
 ख विपक्षी दल

व्याख्यान: याचिकाकर्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विपक्षीदल के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(यदि कथित तौर पर उल्लंघनों को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित है और प्रबंधन के आदेश या कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।

शिकायतकर्ता तदनुसार सुलह अधिकारी/अध्यक्ष/औद्योगिक न्यायधिकरण या राष्ट्रीय न्यायधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता जो सही और उचित हो सकते हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता की नियम 91 के तहत शिकायत और उसके अनुबंध की आवश्यक प्रतिलिपियाँ इसके साथ जमा की जाती है।

यह दिनांक.....दिन.....20.....

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर पैराग्राफ.....में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर पैराग्राफ.....में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20.....केयंे दिन.....में हस्ताक्षर किया जाता है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप
